

ISSN-0971-8397



योजना



मई 2022

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

सामाजिक सुरक्षा

प्रमुख आलेख

दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण
डॉ वीरेंद्र कुमार

विशेष आलेख

समग्र स्वास्थ्य देखभाल
वैद्य राजेश कोटेचा

फोकस

बाल-संरक्षण
समीरा सौरभ



वर्षा जल संचयन

राष्ट्रीय जल मिशन अभियान 'वर्षा जल संचयन' की टैग लाइन 'जहां भी गिरे, जब भी गिरे, वर्षा जल संचयन' का उद्देश्य राज्य सरकारों और अन्य सभी लाभार्थियों को वर्षा के पानी के संरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था का निर्माण करने के लिए सक्रिय करना है कि यह व्यवस्था जलवायु की परिस्थितियों और जमीन की निचली परत के हिसाब से मानसून से पहले ही कर ली जानी चाहिए।

इस अभियान में चेक बांध, जल संरक्षण के तालाब, छत पर आरडब्ल्यूएचएस आदि के जरिए बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और साथ ही अतिक्रमण और रुकावटें दूर करके तथा नीचे तलहटी में जमा मिट्टी और गाद निकालकर सफाई करके संरक्षण क्षमता बढ़ाई जाती है। जलग्रहण क्षेत्रों से लोगों तक पानी पहुंचाने



वर्षा जल संचयन
जब भी गिरे, जहां भी गिरे
राष्ट्रीय जल मिशन

की पाइपों, नालियों आदि में से रुकावटें हटाकर, सीढ़ीदार कुओं की मरम्मत करके और बंद पड़े बोरवैल्स को फिर चालू करके पानी को फिर से पाइपलाइन में पहुंचाने के प्रयासों में लोगों का सक्रिय सहयोग लिया जाता है।

इन गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्यों से हर जिले में कलेक्टरेट में/नगरपालिका में या ग्राम पंचायत कार्यालय में 'वर्षा केंद्र' खोलने का आग्रह किया गया है। इस अवधि में इन वर्षा केंद्रों में विशेष 'समर्पित फोन' उपलब्ध कराए जाएंगे जिसे कोई इंजीनियर अथवा आरडब्ल्यूएचएस में प्रशिक्षित व्यक्ति संभालेगा। ये केंद्र ज़िले के सभी लोगों के लिए तकनीकी मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि जब भी और जहां भी वर्षा हो तो उसे कैसे थामकर संग्रहित किया जा सकता है। ■

- भारत में हमारी औसत खपत से तीन गुना से भी ज्यादा बारिश होती है जिसका मतलब है कि पानी की बचत करके मांग और आपूर्ति के अंतर को कम रखने के लिए वर्षाजल संरक्षण बहुत प्रभावी उपाय है।
- औसत आम जनता को पता ही नहीं है कि देश में पानी की कितनी कमी है और खासकर उस क्षेत्र में जहां वे रहते हैं और यह जानकारी तो सामान्य रूप से सभी को पता होनी चाहिए।
- खाद्य सुरक्षा की भाँति ही जल सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा जाना चाहिए, इसका दायित्व केवल सरकार का ही नहीं है बल्कि नागरिकों का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है।
- वर्षा के पानी के संरक्षण को लेकर विकेंद्रित तरीके-
 - (क) बड़े पैमाने पर-साधारण फिल्टरेशन (छानने) के उपाय जैसे जालियां इस्तेमाल करना, पाइपों के मुंह बंद करना और छत पर बनी ओवरग्राउंड/अंडरग्राउंड टंकियों में पानी को संरक्षित करना जिसे बाद में उबालकर पीने या खाना बनाने के काम में लाया जा सकता है और कुल खपत कम रखी जा सकती है। इस पानी को सीधे भी अन्य कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
 - (ख) वर्षा के दौरान बालकनी/पिछवाड़े के आंगन में बालियों या बड़े बर्तनों में पानी भरा जा सकता है जिसे बाद में ऊपर बताए तरीकों से काम में लाया जा सकता है।
- लोगों को समझाबुझाकर प्रेरित करना कि पानी को फेंकने की बजाय किसी अन्य काम में इस्तेमाल करें जिससे पानी की कुल खपत कम रखी जा सके।
बचे हुए पीने के पानी या बर्फ पिघलने से बचने वाले पानी को झाड़पोछ और साफ-सफाई जैसे अन्य घरेलू कामों में लाकर पानी की कुल खपत कम की जा सकती है।
 - (क) सब्जी, फल या अनाज धोने के बाद बचने वाले पानी को पौधों की सिंचाई के लिए या घर की सफाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
 - (ख) यदि घर में आरओ इस्तेमाल किया जाता है तो मशीन से निकलने वाले पानी को फेंकने की बजाय घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई, कार अथवा स्कूटर-मोटरसाइकिल वैगरह धोने में काम में लाया जा सकता है।
 - (ग) पानी की बर्बादी रोकने के लिए सीधे शॉवर या नल के नीचे नहाने की जगह।
 - (घ) नहाने के बाद बचा पानी भी पौधों में डाला जा सकता है या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
 - (इ) कपड़े धोने के बाद बचा पानी टॉयलेट में फ्लश के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। बाल्टी में पानी भरकर नहाएं तो पानी बचेगा।





वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
 लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डीकेसी हृदयनाथ

आवरण : बिंदु वर्मा

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं हैं, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानवित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़े/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं हैं। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ-49 पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pducir@gmail.com

या संपर्क करें- दूरभाष : 011-24367453
 (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
 प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
 प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातांत तल,
 सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
 नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

प्रमुख आलेख

दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण
 डॉ वीरेंद्र कुमार.....7



विशेष आलेख

समग्र स्वास्थ्य देखभाल
 वैद्य राजेश कोटेचा.....13



सतत आर्थिक विकास
 अविनाश मिश्र, मधुबंती दत्ता17

फोकस

बाल-संरक्षण
 समीरा सौरभ21

प्रोत्साहन, प्रतिरक्षा और सुरक्षा
 का तिहरा कवच

डॉ रहीस सिंह.....26

किसानों के लिए सुरक्षा चक्र
 डॉ जगदीप सक्सेना.....31



सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में
 प्रौद्योगिकी की भूमिका
 इशिता सिरसीकर35

सुलभता अंतर को पाटना
 रंजन एस दास, प्रमीत दास.....39

खेलों के साथ आर्थिक सुरक्षा
 राजेश राय43

आजादी का अमृत महोत्सव

पुस्तक चर्चा
 रेडियो-नाटक लेखन46

नियमित संबंध

विकास पथ
 वर्षा जल संचयनकवर-2
 क्या आप जानते हैं?
 नीली क्रांति34

आगामी अंक : नई प्रौद्योगिकियां



प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 15

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया,

आपकी राय

yojanahindi-dpd@gov.in



संतुलित बजट

योजना पत्रिका का मार्च अंक केंद्रीय बजट 2022-23 के विशेषांक पर आधारित है। बजट किसी भी देश और सरकार का आय व्यय का विवरण होता है। पिछले दो वर्षों से कोविड-19 वैश्विक महामारी का अधिकतर क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव होने के बावजूद भारत का यह बजट अपनी जरूरतों के अनुसार सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला है। प्रमुख आलेख शृंखला में डॉटी वी सोमनाथन जी के लेख में बजट में डठाए गए सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है जिसमें अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ ही छोटे उद्यमों और सहायक कार्यों पर भी ध्यान दिया है। शिक्षा, चिकित्सा तथा कृषि के क्षेत्र में नवाचारों से देश के सर्वांगीण विकास में अवश्य ही सहायता मिलती है। पत्रिका परिवार को इस प्रस्तुति के लिए धन्यवाद और आगामी अंक हेतु अग्रिम बधाई।

— मनीष रमन
अलवर राजस्थान

फिनटेक का अनुप्रयोग

‘योजना’ पत्रिका का अप्रैल अंक बेहद लाभकारी जानकारी से परिपूर्ण है। तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों के युग में वित्तीय क्षेत्र में नवाचार अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। फिनटेक अर्थात् वित्तीय प्रौद्योगिकी का भारत में सफल प्रयोग हुआ जिसके फलस्वरूप नागरिकों के लिए इसके अनुप्रयोग सुगम हो सके। वैश्विक महामारी के कठिन दौर में नागरिकों के लिए वित्तीय लेन-देन संभव हो पाया जिससे बिना आवागमन के न केवल समय बल्कि पैसे की भी बचत हो सकी। प्रस्तुत अंक के सभी लेख में जानकारीपूर्ण हैं जो पाठकों

को इसके अनुप्रयोग की विस्तृत शृंखला से परिचित कराता है। सूचनाप्रद जानकारी प्रदान करने के लिए संपादकीय टीम प्रशंसा की पात्र है।

— प्रांजलि
नई दिल्ली

प्रारम्भिक बचपन के बेहतरीन अनुभव

कहते हैं एक बच्चे की प्रारम्भिक पाठशाला एक कुटुम्ब ही होता है अगर इसके बेहतरीन अनुभव बच्चे को न मिले तो इसका असर उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। एक नौनिहाल की शुरुआती बाल अवस्था बहुत ही संवेदनशील होती है उनसे जुड़ी दिमागी इन्द्रियों की हर गतिविधियों को बढ़ावा मानसिक मजबूती प्रदान करता है। हमें उनकी गतिविधियों में शामिल होकर उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है।

“बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं वो नहीं जो हम कहते हैं” हमें कोई भी अनुचित गतिविधि बच्चों के सामने करने से बचना चाहिए, बच्चों के दिमाग में गलत संदेश जा सकता है कहने को तो यह होता है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा ये सबसे बड़ी भूल होती है अभिभावक की। हमारे समाज में माता-पिता को बच्चों की देखभाल करना खेल खेलने जैसा होता है। यहां तक की पढ़-लिखे होने के बावजूद कई बार अपने बच्चों की सही देखभाल नहीं कर पाते। नौनिहालों का जीवन

अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है क्योंकि स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है। हमें उनके बेहतर भविष्य के लिए उनकी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए आखिर बच्चे का आधार क्या है किस क्षेत्र में अधिक रुचि ले रहा है जिससे भविष्य में हमें अपनी इच्छाएं उस पर ना थोपी पड़ें और बच्चे रुचिकर पूर्ण अपने कार्य में योगदान दे सके और यही जीवन में जीने का असली मकसद होगा।


यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा यदि परिवार के साथ-साथ समाज भी इसमें योगदान देने से पीछे न हटे ये कहकर कि ‘कौन सा ये मेरा बच्चा है मुझे क्या करना’ और इसका असर भविष्य में दिखता भी है। एक और कदम, हमें अपने बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना भी उनका आधार है जिससे उनके सीखने की प्रक्रिया और तीव्र होगी। प्रकृति से जुड़ाव एक अलग ही एहसास होता है। आने वाली पीढ़ी से कभी भी अपने विचार थोपने के बजाय उनके विचार को समझना तथा उनके साथ चलना ही दोनों पीढ़ी के मध्य खाई को खत्म करेंगी वरना हम नदी के दो किनारों जैसे रह जाएंगे जो कभी शायद एक नहीं हो सकते... इसलिए दिल से उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूँढें।

— कल्पना विश्वकर्मा
रायबरेली, उत्तर प्रदेश

आपकी राय का पृष्ठ पाठकों के विचार और उनकी टिप्पणियां ‘योजना’ टीम से साझा करने के लिए ही है। अपने पत्र हमें ईमेल करें—

yojanahindi-dpd@gov.in

पर या लिखें - वरिष्ठ संपादक, 648, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003



संपादकीय



सुरक्षा कवच

स

माज को हमेशा एक सामूहिक समग्रता के रूप में देखा जाता है जो विकास के प्रति समावेशी दृष्टिकोण के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। संसाधनों का समान वितरण और हाशिए पर पड़े लोगों का उत्थान एक प्रगतिशील या बढ़ते समाज की अनिवार्यता है। यह भी देखा जाता है कि आपातस्थिति या संकटकाल में समाज और उसके लोग हालात से कैसे निपटते हैं और उनकी ऐसी स्थिति से निपटने के बारे में क्या तैयारी थी। इन्हीं मानदंडों के आधार पर पता चलता है कि आत्मनिर्भरता और स्थायित्व की दृष्टि से समाज की स्थिति क्या है।

किसी भी सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, वह प्रणाली की खामियों को दुरुस्त करती है और साधनों की बर्बादी को रोकती है। सरकार हर क्षेत्र के अनुरूप नीतिगत हस्तक्षेप करती है और नीतियां बनाती है। इसको नीतियों में स्वास्थ्य देखभाल, वृद्धावस्था, बेरोज़गारी आदि में लोगों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ हाशिये तथा अपेक्षाकृत कमज़ोर स्थिति में रह रहे लोगों को सहारा देना शामिल हैं।

हाल की वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता तो और भी स्पष्ट समझ में आ गई है। लॉकडाउन, बीमारियों, नौकरी छूट जाने और सीमित साधनों के कारण समाज के विभिन्न वर्गों को मजबूत सहारे की वास्तविक ज़रूरत का भरपूर एहसास हुआ। इसी आधार पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज विकसित किए गए जो मुख्यतः अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, तंत्र और जीवंत जनसार्थियों और मांग के पांच स्तंभों के सहारे टिके हैं। उद्योग, कृषि, ग्रामीण, श्रमिक और प्रवासी श्रमिकों पर कोंद्रित क्षेत्रों में सुधार लाने और क्षमता-विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में महामारी की स्थिति का बहुत खराब असर पड़ा था।

आज के भारत में वित्तीय समावेशन सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की मुख्य धूरी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) से आर्थिक समावेशन में व्यापक वृद्धि हुई। जनधन बैंक खातों, मोबाइल फोन और आधार की तिकड़ी यानी जैम के माध्यम से गरीबों को लाभ सीधे उनके खातों में मिलने शुरू हो गए।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुंचाने के लिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के माध्यम से व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ पहुंचाने के लिए जीवन और दिव्यांगता बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य लाभों के बारे में उपयुक्त कल्याण योजनाएं तैयार कर सके। राज्य सरकारों को भी आवास, भविष्य निधियों, शिक्षा योजनाओं, कौशल विकास, वृद्धाश्रम इत्यादि से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए उपयुक्त कल्याण योजनाएं बनाने का अधिकार है। जीवन बीमा और दिव्यांगता बीमा की व्यवस्था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के जरिए की जाती है। स्वास्थ्य और मातृत्व (प्रसूति) लाभों की व्यवस्था आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत की जा रही है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित ‘सबके लिए स्वास्थ्य योजना’ है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में संशोधन करके और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मौजूदा श्रम कानूनों को मिलाकर संगठित या असंगठित किसी भी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुंचाने का व्यापक लक्ष्य पूरा किया जा रहा है।


फिर, फ़िनटेक अनेक प्रकार के भुगतान और लेनदेन विकल्प उपलब्ध कराके वित्तीय समावेशन का विस्तार कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम-प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान से ग्रामीण परिवारों में डिजिटल साक्षरता पहुंचाई जा रही है। सेवाओं की डिजिटल डिलिवरी की सहायता से लोग सीधे सरकार से संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं जिससे वे विभिन्न सेवाओं का प्रभावी इस्तेमाल करके अपना जीवन स्तर सुधारने में कामयाब हो रहे हैं। किसान समुदाय के लिए और विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाना भी आवश्यक है क्योंकि छोटे और बहुत छोटे किसान तो अनिश्चित मौसम और आर्थिक परिस्थितियों में ही आजीविका चलाते हैं।

सामाजिक नवाचार भी सरकारी योजनाओं के साथ सहयोग करके समस्याओं के समाधान में सहायता बन सकते हैं। वास्तव में सरकार और समाज के बीच परस्पर विमर्श में समग्र बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि समाज के ढांचे में स्थायी सुधार लाकर समाज और लोगों के लिए व्यापक और समग्र सुरक्षा कवच बनाया जा सके। ■

अग्र IAS का सपना करना है साक्षर
सही दिशा को बनाए अपना आधर !




Books for Prelims



Mrunal Patel

Books for Mains



Also Available :
English Compulsory,
निबंध एवं हिन्दी अनिवार्य



Scan or Visit :
<https://amzn.to/3vOxxdE>

Available at : dishapublication.com | amazon.in | flipkart.com | Leading Bookshops

दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण

डॉ वीरेंद्र कुमार

भारत को प्राचीन काल से ही दुनिया भर में एक मिली-जुली और समावेशी संस्कृति के रूप में जाना गया है। हम समावेशिता, एकीकरण और सद्भाव में विश्वास करते हैं और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहे हैं। दिव्यांगजन प्रबंधन में शामिल मुद्दों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए और दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तीकरण के उद्देश्य से नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग बनाया गया था। अपनी स्थापना के बाद से, विभाग ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण की दिशा में आउटरीच गतिविधियों का विस्तार किया है और अपने विभिन्न नीति और कार्यक्रम उपायों के माध्यम से अपनी मौजूदगी का अहसास कराया है।

मा

ननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने और उनकी क्षमता की पहचान करने के दृष्टिगत उन्हें संबोधित करने के लिए 'दिव्यांगजन' शब्द का प्रयोग किया है। उनके नेतृत्व में सरकार की पहलों में दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों को सबसे आगे रखा गया है। मई, 2012 से पहले, केंद्र सरकार स्तर पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने दिव्यांगजन ब्लूरो के माध्यम से दिव्यांग मामलों के प्रबंधन के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य कर रहा था। दिव्यांगजन प्रबंधन में शामिल मुद्दों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए और दिव्यांगजनों के समावेशन और सशक्तीकरण के उद्देश्य से नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग बनाया गया था। अपनी स्थापना के बाद से, विभाग ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण की दिशा में आउटरीच गतिविधियों का विस्तार किया है और अपने विभिन्न नीति और कार्यक्रम उपायों के माध्यम से अपनी मौजूदगी का अहसास कराया है। मंत्रालय का प्रमुख होने के नाते, मैं दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने से संबंधित गतिविधियों की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहा हूं और हमारी सरकार के पिछले आठ वर्षों के दौरान हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि एक समावेशी समाज बनाने की हमारी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुसार सरकार सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है।

चूंकि भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक पक्षकार है, अतः हमारा यह दायित्व था कि हम दिव्यांगता क्षेत्र में लागू अपने स्वदेशी (डोमेस्टिक) कानून को सरल और कागर बनाए। तदनुसार, हमारी सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 को अधिनियमित किया जो 19

अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ। यह कानून समावेशन के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है, जो दिव्यांगजनों के इन अधिकारों के संरक्षण के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने के अलावा उनके अधिकारों और हकदारियों के दायरे का विस्तार करता है। यह समानता का अधिकार, क्रूरता, शोषण और हिंसा से सुरक्षा, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान में पहुंच, कानूनी क्षमता इत्यादि की गारंटी देता है। यह सरकार को दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के उपाय करने और खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी के लिए वातावरण बनाने के लिए भी अधिदेश प्रदान करता है। बैंचमार्क दिव्यांगजनों (अर्थात् 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता) वाले व्यक्तियों के लिए सीटों में आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है,





जबकि उक्त अधिनियम के तहत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

चूंकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों में भर्ती मामलों पर नोडल विभाग है, इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान को लागू करने के लिए जनवरी, 2018 में परिपत्र जारी किया गया। सत्ता में आने के बाद, हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है और लगभग 15,700 सूचित रिक्तियों में से 14,000 से अधिक रिक्तियों को भर लिया गया है। हमने बैंचमार्क दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण के लिए उपयुक्त 3566 पदों (समूह क-1046, समूह ख-515, समूह ग-1724 और समूह घ-281) की सूची भी अधिसूचित की है जो विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांगजनों की भर्ती के लिए आधार प्रदान करती है।

दिव्यांगता प्रमाणन हमारी सरकार के प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक था। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों की नई श्रेणियों को शामिल करने को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने 4 जनवरी 2018 को किसी व्यक्ति में विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं की सीमा के आकलन के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए। इन दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांगता प्रमाणन के लिए चिकित्सा प्राधिकरण की संरचना की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एक समान और परेशानी रहित (हैसल फ्री) तंत्र स्थापित किए जाने के दृष्टिगत और दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए, हमारी सरकार ने 2015-16 से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना (यूडीआईडी) शुरू की है। 27 जनवरी 2017 में दतिया जिला, मध्य प्रदेश में पहला विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) बनाया गया था। अब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 715 जिलों में लगभग 70 लाख

यूडीआईडी कार्ड बनाए जा चुके हैं। सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से सभी मौजूदा दिव्यांगता प्रमाणपत्रों को यथाशीत्र पोर्टल पर डिजिटल करने की दिशा में बढ़ रही है।

दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का निर्माण उनके समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की, जो निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और आईसीटीईको सिस्टम में सुगम्यता पर केंद्रित है। इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस अभियान के अंतर्गत, लगभग 577 राज्य सरकार के भवनों और 1030 से अधिक केन्द्र सरकार के भवनों को सुगम्य बनाया गया है। सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 में रैंप, हेल्प डेस्क और सुगम्य शौचालयों जैसी सुगम्य विशेषताएं प्रदान की गई हैं। ए 1, ए और बी श्रेणी के 709 रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाया गया है। 8443 बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया है। जबकि 44153 एसटीयू बसों को आंशिक रूप से सुगम्य बनाया गया है। 603 राज्य सरकार की वेबसाइटों और 95 केन्द्र सरकार की वेबसाइटों को पहले से ही सुगम्य बनाया जा चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण बाधितों के लिए टीवी देखने को सुगम्य बनाने के लिए सितंबर, 2019 में दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब तक 19 निजी समाचार चैनल आंशिक रूप से सुगम्य समाचार बुलेटिन का प्रसारण कर रहे हैं, 2447 समाचार बुलेटिनों को सबटाइटिलिंग/सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन के साथ प्रसारित किया गया है और सामान्य मनोरंजन चैनलों द्वारा सबटाइटिलिंग का उपयोग करके 3686 से अधिक अनुसूचित कार्यक्रमों/फिल्मों का प्रसारण किया गया है। मंत्रालय ने मार्च, 2021 में सुगम्यता से संबंधित समस्याओं की क्राउड सोर्सिंग के लिए एक मोबाइल ऐप्लिकेशन सुगम्य भारत ऐप भी तैयार किया है।

यह समानता का अधिकार, क्रूरता, शोषण और हिंसा से सुरक्षा, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान में पहुंच, कानूनी क्षमता इत्यादि की गारंटी देता है। यह सरकार को दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के उपाय करने और खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी के लिए वातावरण बनाने के लिए भी अधिदेश प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण अवधि है जो किसी व्यक्ति की आजीवन स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक क्षमता तक पहुंचने की क्षमता को निर्धारित करती है। इनके जीवन की शुरुआत में गुणवत्तापरक वाले चाइल्डहूड इंटरवेशन प्रदान करने से इनको एक स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीने में सक्षम होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। इस तरह दिव्यांगता के भार को कम करने के लिए चिकित्सीय उपचार के लिए दिव्यांगता की प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण है। इसे स्वीकार करते हुए, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, सुन्दरनगर, पटना, भोपाल, मुंबई, कोलकाता,

कटक, राजनन्दगांव, सिकंदरगांव, नेल्लोर, चेन्नई और कोझिकोड में स्थित अपने राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों में 14 अर्ली इंटरवेशन सेंटरों की स्थापना की। इन केंद्रों को जोखिम वाले मामलों की स्क्रीनिंग, थेरेपेटिक सुविधाएं जैसे कि बाक्सथेरेपी, ऑक्यूपैशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बीहेविअरल थेरेपी और माता-पिता/सहकर्मी परामर्श और संज्ञानात्मक एवं दिव्यांग बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रारंभिक स्कूल उपलब्ध कराने के लिए सुसज्जित किया गया है।

दिव्यांग छात्रों को सभी स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, हमारी सरकार प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों में प्री-मैट्रिक (25,000), पोस्ट-मैट्रिक (17,000), उच्च श्रेणी शिक्षा (300), एमफिल/पीएच.डी पाठ्यक्रम (200) और विदेशों (ओवरसीज) (20) में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही हैं। दिव्यांगजनों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों और उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में हाल के दिनों में क्रमिक वृद्धि दिखाई दे रही है जो उच्चतर

मनो-सामाजिक दिव्यांगता (मानसिक बीमारी) की घटनाओं में वृद्धि विश्व स्तर पर चिंता का कारण रही है। सितंबर, 2020 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने मानसिक रोगियों और उनके परिवारों को उनकी मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु 24x7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलीटेशन हेल्पलाइन शुरू की।

शिक्षा में दिव्यांगजनों की व्यापक भागीदारी को दर्शाती है। इसके अलावा, विभाग छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है ताकि वे समूह क, ख और ग पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकें।

सरकार द्वारा अपनाई गई नई शिक्षा नीति, 2020 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है और इसमें समावेशी शिक्षा का घटक शामिल है। इस नीति से दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बाधामुक्त पहुंच सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

सरकार ने सांकेतिक भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करने के लिए दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र की भी स्थापना की है। संस्थान ने अब तक विभिन्न शब्दों और वाक्यांशों की लगभग 10,000 सांकेतिक भाषा अभिव्यक्ति तैयार की है जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए एक संदर्भ बिंदु प्रदान करती है और बधिर समुदाय के लिए एक वरदान साबित हुई है। संस्थान ने कक्ष I से XII के स्कूली पाठ्यक्रम को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए एनसीईआरटी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। संस्थान ने पहले ही कक्ष I से V के पाठ्यक्रम का सांकेतिक भाषा संस्करण तैयार किया है। इसके अलावा, पूरे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अब सुगम्य विशेषताओं के साथ एक स्मार्ट फोन एप्लिकेशन के माध्यम से दिव्यांग छात्रों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

मनो-सामाजिक दिव्यांगता (मानसिक बीमारी) की घटनाओं में वृद्धि विश्व स्तर पर चिंता का कारण रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, दुनिया में चार में से एक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी हिस्से में मानसिक बीमारी से प्रभावित होगा। कोविड-19 महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को काफी बढ़ा दिया है। सितंबर, 2020 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने मानसिक रोगियों और उनके परिवारों को उनकी मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु 24 x 7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैबिलीटेशन हेल्पलाइन शुरू की। इस हेल्पलाइन में विभाग के 25 संस्थानों के माध्यम से 660 क्लीनिकल/पुनर्वास मनोवैज्ञानिकों और 668 मनो चिकित्सक स्वयंसेवकों की सहायता से 13 भाषाओं में सेवाएं प्रदान की गई हैं।

विभाग ने सीहोर, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय





मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) की भी स्थापना की। संस्थान का उद्देश्य ऐसे मानसिक रोगियों को जिनका सफलता पूर्वक उपचार कर दिया गया है, मुख्यधारा में लाने के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास प्रोटोकॉल तैयार करने के अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की दिशा में काम करना है। यह संस्थान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'पुराने जिला पंचायत भवन', सीहोर में प्रदान किए गए एक अस्थायी आवास में कार्य कर रहा है और अपने नए भवन में पूरी तरह से कार्यात्मक हो जाएगा, जिसके चालू वित्तीय वर्ष के दौरा न पूरा होने की संभावना है। हमें उम्मीद है कि एक बार जब संस्थान पूरी तरह से कार्यात्मक हो जाता है, तो यह जिनका सफलतापूर्वक उपचारित कर दिया गया है, मानसिक रोगियों के पुनर्वास और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अभिनव विचारों और मॉडल के साथ सामने आएगा।

सरकार खेलों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। देश में दिव्यांग खिलाड़ियों में अपार प्रतिभा है, जो इस बात का सबूत है कि भारत ने टोक्यो 2020 पैरा लिंपिक में 5 स्वर्ण पदक सहित 19 पदक जीते। डीईपीडब्ल्यूडी ने ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की है जिसके वर्ष 2022 में चालू करने का लक्ष्य है। केंद्र में सभी मुख्य पैरा खेलों में दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।

हम सांस्कृतिक गतिविधियों सहित जीवन के प्रत्येक पहलू में दिव्यांगजनों के एकीकरण की दिशा में निरन्तर कार्य कर रहे हैं। इस उद्देश्य की दिशा में पहले कदम के रूप में, डीईपीडब्ल्यूडी ने ललित कला प्रदर्शन में दिव्यांगजनों की आंतरिक क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक नया मंच 'दिव्य कला शक्ति' स्थापित किया है। विभाग ने अब तक दिल्ली में 2 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और चेन्नई और ईटानगर में 2 क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विभाग का आशय भविष्य में अपनी पहुंच (आउटटरीच) बढ़ाने का है। यद्यपि राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के आधार पर दिव्यांगजनों को राहत, राज्य का विषय है। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को आगे बढ़ाती रही है। विभाग की एक फ्लेगशिप योजना सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) योजना है, जिसके तहत दिव्यांगजनों की गतिशीलता में

सुधार करने के लिए दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित किए जाते हैं ताकि दैनिक जीवन की गतिविधियों को करने के अलावा वे स्वतंत्र रूप से, अपने काम पर भी जा सकते हैं और जीविकोपर्जन कर सकें। 2014-15 से, इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 21.90 लाख दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के लिए 11973 शिविर आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, श्रवण बाधित बच्चों में 4000 से अधिक कॉकिलयर इम्प्लांट सर्जरियां की गई हैं, जिसकी अत्यधिक सराहना की गई है। आधुनिक सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों के विकास हेतु प्रौद्योगिकी समझौते के हस्तांतरण के लिए, भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा आधुनिक ऑर्थोसिस और प्रोस्थेसिस के उत्पाद के लिए जर्मनी के मेसर्स ओटोबॉक के साथ एवं रफ टरैन और एक्टिव फोल्डिंग व्हीलचेयर उत्पादन के लिए कॉकिलयर इम्प्लांट की लागत को कम करने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए यूके के मेसर्स मोटि वेशन के साथ प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हम डीआरडीओ के सहयोग से स्वदेशी कॉकिलयर इम्प्लांट के उत्पादन में भी लगे हुए हैं।

सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके पुनर्वास एवं समाज में एकीकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका को स्वीकार करती है। डीईपीडब्ल्यूडी अपनी फ्लेगशिप योजना दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के माध्यम से श्रवण, दृष्टि, बैद्धिक दिव्यांग बच्चों, उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि के लिए आवासीय सुविधा के साथ विशेष शिक्षा के रूप में जैसी विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता कर रहा है।

महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना, जो यद्यपि दिव्यांगजनों के समावेश और सशक्तीकरण के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने की संभावना (प्रोसप्रेक्टिव) से महत्वपूर्ण है, इन कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विभाग के नो राष्ट्रीय संस्थान और 21 समेकित क्षेत्रीय केंद्र हैं जो 28 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। जबकि प्रत्येक राष्ट्रीय संस्थान दिव्यांगता की विशिष्ट श्रेणी के संबंध में काम करता है, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियों में पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विभाग पुनर्वास क्षेत्र में क्षमता विकास के साथ-साथ क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के अलावा पुनर्वास सेवाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए इन संस्थानों को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

हमने महसूस किया है कि गैर सरकारी संगठनों, पीडब्ल्यूडी एसोसिएशनों, शैक्षणिक निकायों और सिविल सोसाइटी संगठनों सहित सभी स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी के बिना अकेले सरकारी पहलों के माध्यम से वास्तव में समावेशी समाज का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण में अपनी यात्रा के पिछले आठ वर्षों में उन सभी के सहयोग की सराहना करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री के विजन, समावेशी भारत, सशक्त भारत को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने पर ध्यान देना चाहते हैं ताकि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ■

बाजार में बिक्री
के लिये उपलब्ध


प्रतियोगिता
परीक्षाओं में

एक सम्पूर्ण वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ के साथ

संफलता

Code No. 870

Vol. 1




ताजा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवेचन

नवीनतम आँकड़ों एवं तथ्यों सहित

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के साथ-साथ
अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी

Also Available on : pdgroup.in



Code No. 801
₹ 295/-

Scan the QR
Code with your
mobile and
open the link to
see the range of
extra issues.



प्रतियोगिता दर्पण || 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास, आगरा-282 005
कोन : (0562) 2530966, 2531101 • E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844, 43259035 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • हल्द्वानी मो. 07060421008



अब दृष्टि
लर्निंग एप पर
लाइव क्लासेज़
शुरू



IAS फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन (प्रिलिम्स + मेन्स)

मोड़ :
लाइव ऑनलाइन/पेनड्राइव

नोट: लाइव ऑनलाइन मोड
में आप जुड़ेंगे सीधे दिल्ली के क्लासरूम से।

एडमिशन
प्रारंभ

शुल्क : ₹100000

[सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की 500+ कक्षाओं
के साथ ये सुविधाएँ एकदम निशुल्क]

3 वर्षों तक प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज़
₹24000/- निशुल्क

3 वर्षों तक प्रिलिम्स क्रैश कोर्स
₹15000/- निशुल्क

सभी टॉपिक्स के प्रिंटेड नोट्स
₹15000/- (DLP) निशुल्क

मुख्य परीक्षा के 24 टेस्ट
₹10000/- निशुल्क

3 वर्षों तक करेंट अफेयर्स टूडे
₹4320/- निशुल्क

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ (6 बुक्स)
₹1815/- निशुल्क

मेन्स कैप्सूल सीरीज़ (5 बुक्स)
₹1240/- निशुल्क

छूट की कुल राशि : ₹71,375/-

IAS/PCS ऑनलाइन कोर्स

द्वारा : डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

हिंदी साहित्य: वैकल्पिक विषय
(IAS + UPPCS + BPSC)

एथिक्स
(IAS + UPPCS)

निबंध
(IAS + UPPCS)

8750187501, 9311406442

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442 नंबर पर
कॉल करें या GS लिखकर मैसेज या वाट्सएप करें

इंस्टॉलमेंट्स पर भी उपलब्ध !
लॉग-इन कीजिये : www.drishtiIAS.com

अपने एंड्रॉयड फोन पर इंस्टॉल करें
Drishti Learning App

समग्र स्वास्थ्य देखभाल

वैद्य राजेश कोटेचा

परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां उतनी प्राचीन हैं जितना कि जीवन। ये मानव के स्वास्थ्य और आरोग्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और कई शताब्दियों से दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही हैं। पुराने समय के चिकित्सकों ने चिकित्सा की कुछ पद्धतियों को परखा, युक्तिसंगत बनाया और तैयार किया। ये, उन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में विकसित हुईं जो ज्ञान, कौशल (अनुभवजन्य ज्ञान को नियोजित करने की क्षमता) और विभिन्न संस्कृतियों के सिद्धांतों, मान्यताओं और अनुभवों पर आधारित हैं, चाहे वे खोज योग्य हों या नहीं और स्वास्थ्य बनाए रखने तथा शारीरिक या मानसिक बीमारी की रोकथाम, निदान, सुधार या उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं (डब्ल्यूएचओ, 2017)।

वि

शब स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की लगभग 80 प्रतिशत आबादी किसी न किसी तरह से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करती है। भारत का एक विशिष्ट और अद्वितीय पारंपरिक चिकित्सा आधार है, जिसमें प्रत्येक पद्धति का अपना प्राचीन दर्शन, औषधीय ज्ञान, धारणाएं और प्रथाएं हैं जो क्षेत्रीय संस्कृतियों, परंपराओं और विश्वासों के साथ सरेखित होती हैं। भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिंगा और होम्योपैथी शामिल हैं जिन्हें आयुष के नाम से जाना जाता है। इन सभी पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान के आगमन से बहुत पहले सतत रूप से तैयार, प्रयोग और सिद्ध किया गया था।

दुनिया के कई देशों में, चिकित्सा बहुलवाद आदर्श है, और पारंपरिक चिकित्सा स्वीकार्य, सुरक्षित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीकों का उपयोग करके विश्व आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्राप्त करने का एक निश्चित साधन है। चिकित्सा की कोई भी पद्धति अकेले ही सभी स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान नहीं कर सकती है और प्रत्येक के सकारात्मक पहलुओं को शामिल करने वाला एक एकीकृत दृष्टिकोण निश्चित रूप से मानव जाति को लाभान्वित कर सकता है। समग्र रोगी-केंद्रित और व्यक्तिगत दृष्टिकोण पारंपरिक पद्धतियों का ट्रेडमार्क है और रोगी-चिकित्सक भागीदारी को आरोग्यता के लिए उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के वास्ते उपचार और जीवन शैली सलाह को डिजाइन या अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है।



रोग प्रतिरोधक क्षमता
के लिए

आयुष





इस बारे में जागरूकता और परंपरागत औषधियों के बढ़ते इस्तेमाल से परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़े पैमाने पर बढ़ावा मिला है। कोविड-19 महामारी के दौरान रोगनिरोधी देखभाल के प्रावधान से लेकर बीमारी के प्रबंधन तथा आयुष प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष पद्धति के समाकलन तक की विविध गतिविधियों ने आयुष प्रणालियों की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। इसी के फलस्वरूप जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम) की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्वास्थ्य में होलिज्म यानी समग्र शब्द का प्रयोग साहित्य में कई बार विभिन्न अर्थों के साथ किया जाता है। होलिज्म की उत्पत्ति ग्रीक शब्द होलोस में हुई है, जिसका अर्थ है 'संपूर्ण'। इस अर्थ में, होलिज्म एक दृष्टिकोण है जो चीजों को समग्र दृष्टिकोण से देखता है और आमतौर पर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक परेशानियों से मुक्ति की स्थिति को समग्र स्वास्थ्य मानता है। उदाहरण के लिए, आयुर्वेद सेहत को 'स्वास्थ्य' के रूप में परिभाषित करता है।

आयुष मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के महेनजर जारी दिशा-निर्देशों में आयुष पद्धतियों का समग्र दृष्टिकोण भलीभांति परिलक्षित होता है। एक नजर डालने मात्र से यह पता चल जाएगा कि इन दिशानिर्देशों में रोकथाम, आहार, मानसिक स्वास्थ्य, योगाभ्यास, प्रणालीगत प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के उपायों आदि पर सिफारिशें शामिल हैं। 'समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य' पर इन सिफारिशों में, आयुष निवारक उपायों के साथ और कोविड-19 तथा लंबे समय तक इसके संबंध में स्वस्थ जीवन शैली पर जोर दिया गया था।

समग्र स्वास्थ्य को जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण भी माना जाता है जिसमें आरोग्यता के बहुआयामी पहलुओं को शामिल किया जाता है। इन दृष्टिकोणों में पारंपरिक

चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग, मन-शरीर-आत्मा के शुद्धिकरण उपाय, शरीर-आधारित दृष्टिकोण, जैविक उपचार और ऊर्जा उपचार शामिल हैं। स्वास्थ्य के लिए एक समग्र और एकीकृत उपाय करने के लिए इनमें से अधिकांश का उपयोग अक्सर एक दूसरे के साथ और पारंपरिक चिकित्सा के संयोजन में किया जाता है। समग्र दृष्टिकोण में आयुर्वेद और आयुष धाराएं, एक्यूपंक्वर, एक्यूप्रेशर, बायोफाईडैक, मालिश चिकित्सा,

कायरोप्रैक्टिक फिजिशियन, मैनुअल थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान, योग, रेकी, और अन्य ऊर्जा उपचार आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य सेवा में आयुष प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए भी कई मोर्चों पर प्रयास जारी हैं। आयुष के सफल एकीकरण के कई उदाहरण हैं जो बढ़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में कार्यनीतिक एकीकरण को सक्षम बनाते हैं।

2014 में आयुष मंत्रालय के गठन के बाद आयुष के प्रभावी एकीकरण पर काम तेज किया गया था। इस एकीकरण को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर समन्वय और सहयोग के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) ऐसे विस्तृत एकीकरण का एक उदाहरण है जिसके अंतर्गत पूरे देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्राथमिक उद्देश्य आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन के माध्यम से सार्वभौमिक पहुंच के साथ, लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करना है। समग्र स्वास्थ्य मॉडल

स्थापित करने के लिए आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का संचालन किया जा रहा है।

कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों तथा स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में आयुष प्रणालियों के एकीकरण को, एकीकरण के एक और प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इसे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ आयुष अनुसंधान परिषदों के सहयोग से कार्यान्वयन किया गया। आयुष के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य पद्धतियों को अपनाने से गैर-संचारी रोगों में देखे गए लाभकारी परिणामों के कारण इस एकीकरण को सफल माना गया। इस तरह के एकीकरण ने चिकित्सा की विभिन्न धाराओं के बीच कार्यात्मक संचार और

चिकित्सा की कोई भी पद्धति अकेले ही सभी स्वास्थ्य चिंताओं का समाधान नहीं कर सकती है और प्रत्येक के सकारात्मक पहलुओं को शामिल करने वाला एक एकीकृत दृष्टिकोण निश्चित रूप से मानव जाति को लाभान्वित कर सकता है। समग्र रोगी-केंद्रित और व्यक्तिगत दृष्टिकोण पारंपरिक पद्धतियों का ट्रेडमार्क है और रोगी-चिकित्सक भागीदारी को आरोग्यता के लिए उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के वास्ते उपचार और जीवन शैली सलाह को डिजाइन या अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है।

सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने में सक्षम बनाया है।

कोविड-19 में स्टैंड-अलोन या सहायक चिकित्सा के रूप में आयुष के उपयोग को, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध केस रिपोर्टों के माध्यम से उजागर किया गया है, जो कि कोविड-19 की गंभीर स्थिति में भी सफल प्रबंधन को दर्शाता है। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान कई क्लिनिकल परीक्षण किए थे, जिनमें हल्के से मध्यम कोविड-19 मामलों में क्लिनिकल रिकवरी और स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे परिणाम मिले थे। इस प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न ठोस साख्यों ने संक्रामक रोगों में भी रोकथाम, प्रबंधन और पुनर्वास में आयुष उपचारों / पद्धतियों के उपयोग की खोज के लिए एक आधार तैयार किया है।

आयुष मंत्रालय ने 'कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित एक राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल' जारी किया था। इसमें आयुष कोविड-19 का प्रबंधन करने के बास्ते पारंपरिक आयुर्वेद ज्ञान आधार, नैदानिक उपायों के अनुभव और जैविक व्यवहार्यता तथा किए जा रहे नैदानिक अध्ययनों के रुझानों को शामिल किया गया था ताकि चिकित्सकों को निर्णय लेने में सुविधा हो।

कोविड-19 महामारी के दौरान, एकीकरण का काम तेजी से किया गया और सहयोग बढ़ाया गया था। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कार्यात्मक भागीदारी स्थापित की थी। आयुष मंत्रालय और एम्स द्वारा संयुक्त रूप से एम्स में एकीकृत

समग्र स्वास्थ्य को जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण भी माना जाता है जिसमें आरोग्यता के बहुआयामी पहलुओं को शामिल किया जाता है। इन दृष्टिकोणों में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग, मन-शरीर-आत्मा के शुद्धिकरण उपाय, शरीर-आधारित दृष्टिकोण, जैविक उपचार और ऊर्जा उपचार शामिल हैं। स्वास्थ्य के लिए एक समग्र और एकीकृत उपाय करने के लिए इनमें से अधिकांश का उपयोग अक्सर एक दूसरे के साथ और पारंपरिक चिकित्सा के संयोजन में किया जाता है।

चिकित्सा विभाग की स्थापना इस संबंध में एक उल्लेखनीय पहल है। इसी प्रकार झज्जर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में एकीकृत आयुष कैंसर चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से उबरने को बढ़ावा देने के लिए अश्वगंधा पर एक अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ भी सहयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष प्रणालियों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए 'सहयोगी अनुसंधान उपक्रम' के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना आयुष पद्धतियों के विकास के साथ-साथ एकीकरण के दायरे को व्यापक बनाने के लिए एक निर्देशित प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है।

पारंपरिक दवाओं के उपयोग में वृद्धि हुई है और पारंपरिक दवाओं के उत्पादों / सेवाओं के व्यापक वैश्वीकरण के साथ-साथ पारंपरिक औषधीय उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के ज्ञान के आधार के साथ आयुष सिद्धांतों के अनुप्रयोगों का एकीकरण विश्व स्तर पर इसकी व्यापक स्वीकृति में मदद कर सकता है। समग्र स्वास्थ्य मन, शरीर और आत्मा के संबंध पर जोर देता है, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों में आरोग्यता प्राप्त करना है। स्वास्थ्य के लिए परंपरागत औषधियों के सिद्धांतों को अपनाना निश्चित रूप से असरदार, किफायती और सबसे सुरक्षित उपाय है। ■

संदर्भ


1. www.wcsu.edu/ihhs

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नरमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेचून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237

सिविल सेवा परीक्षा

यू.पी.पी.सी.एस. एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु




ISBN: 9789355321206
INR: 350

मुख्य विशेषताएं


- प्रत्येक भाग के अंत में उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारम्भिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर सहित प्रस्तुत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आगे की परीक्षाओं के लिए कार्ययोजना एवं रणनीति बना सके
- प्रत्येक भाग के अंत में नए पैटर्न पर आधारित मुख्य परीक्षा के माडल प्रश्नपत्र एवं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न दिए गए हैं
- पुस्तक की सामग्री सुबोध और सुगम्य भाषा में प्रस्तुत की गयी है
- प्रत्येक अध्याय में चार्ट और बाक्स के माध्यम से अद्यतन सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है
- महत्वपूर्ण अध्याय में आवश्यकतानुसार मानचित्र के माध्यम से प्रदेश की भिट्ठी, नदियों, वन, राजमार्ग, जनपदों तथा पर्यावरण आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गयी है

सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा की सम्पूर्ण सामग्री एक साथ - एक पुस्तक में


मॉडल प्रश्न पत्र, सम्पूर्ण हल सहित (आई.ए.एस./यू.पी.पी.सी.एस.)



ISBN: 9789355320384
INR: 325



ISBN: 9789355320445
INR: 325



ISBN: 9789355320896
INR: 325



ISBN: 9789355321008
INR: 325

*Prices are subject to change.

खरीदने के लिए
स्कैन करें ▶



सतत आर्थिक विकास

अविनाश मिश्र
मधुबंती दत्ता

विकास के परिप्रेक्ष्य से जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी मौजूदा चुनौतियों में से एक है, जिसका विकास प्रक्रिया के प्रत्येक पक्ष पर असर पड़ता है। पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय या सतत आर्थिक विकास के लिए हमें जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। चूंकि दक्षिण एशिया के देश निरंतर विकास कर रहे हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन के प्रत्येक पक्ष का उन पर गहरा असर पड़ता है। यदि हम आज जलवायु का मुद्दा नहीं संभाल पाते तो बहुत संभव है कि शेष विश्व कल इस काम में पिछड़ जाए। ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण में व्यापक कमी लाए बिना, पिछली भविष्यवाणियों की अपेक्षा दुनिया का तापमान उससे कहीं पहले असाधारण तौर पर बढ़ चुका होगा।



निया के अग्रणी जलवायु वैज्ञानिकों द्वारा तैयार, जलवायु परिवर्तन पर अंतःसरकारी पैनल (आईपीसीसी) के नए अनुमान के अनुसार, आगामी वर्षों में जलवायु में होने वाले भीषण परिवर्तनों से समुद्र स्तर में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, गर्म हवाएं, बाढ़ और सूखे जैसी गंभीर जलवायु घटनाओं के पीछे 'स्पष्ट' रूप से मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं और इसीलिए 2050 तक ज़ीरो-ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति बेहद जरूरी है। जैसा कि पेरिस समझौते में बताया गया, तापमान को मौजूदा दर से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों पर पड़ेगा, इस तथ्य के बावजूद, क्षेत्र की सरकारों के पास आज तक इस जलवायु संकट की उग्रता से निपटने के लिए कोई पुख्ता नीतियां नहीं हैं।

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लगातार बढ़ते रहने पर विश्व के सबसे बड़े कार्बन प्रदूषकों (विकसित देशों) द्वारा जलवायु के संबंध में व्यापक कदम उठाए जाने के बावजूद, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के औद्योगिकत मानक तक बढ़ने को है। हालांकि, 2015 में पेरिस समझौते के दौरान वैश्विक नेताओं का संकल्प था कि इस सदी में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, जबकि खतरे का चिह्न 2030 या उससे पहले ही पार होने को है। उत्सर्जन के सभी स्रोतों को देखते हुए लगता है कि आईपीसीसी द्वारा तीन वर्ष पहले की गई भविष्यवाणी की बजाय जलवायु में 1.5 डिग्री सेल्सियस की यह बढ़ोतरी एक दशक पहले ही हो जाएगी। यह भी घोषणा की गई कि जलवायु परिवर्तन के मामले में दक्षिणपूर्वी एशिया विश्व के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।

अन्य स्थानों की अपेक्षा समुद्र जलस्तर यहां तेजी से बढ़ रहा है और जहां 4.5 करोड़ लोग रहते हैं, उन तटवर्ती क्षेत्रों में तटरेखाएं सिकुड़ रही हैं। हालांकि, वैश्विक अनुपात के मुकाबले दक्षिणपूर्व एशिया में तापमान कुछ कम बढ़ेगा। वहीं एक नए अध्ययन के अनुसार, इस दशक में बढ़ते जलस्तर के कारण एशिया के सबसे बड़े शहरों को टेक्टोनिक शिप्ट और भूजल स्तर गिरने से अरबों डॉलरों का नुकसान होगा। स्पष्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करना बड़ी चुनौती है और यह तभी संभव है जबकि वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और नवीकरण किया जाए।

इसलिए जरूरी है कि साफ और नवीकृत ऊर्जा के व्यापक इस्स्टेमेल को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने प्रयास की शुरुआत हो। 1990 से दक्षिण एशिया में प्रतिवर्ष उत्सर्जनों में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। कोयले पर अपनी अधिकाधिक निर्भरता के कारण, भारत विश्व में ग्रीनहाउस गैसों का सातवां सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। वैश्विक स्तर पर अन्य विकासशील देशों के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय और प्रति यूनिट ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे नीचे रहने के बावजूद भारत इस स्थान पर है। भविष्य में भी भारत में बिजली बनाने के लिए कोयला पहली पसंद रहेगा।

विद्युत क्षेत्र की कार्बन गहनता को कम करने के लिए तकनीकी सुधारों से जुड़ा ऊर्जा सामर्थ्य जरूरी है। इसके साथ ही, पर्यावरण पर पड़ते दबाव को देखते हुए नवीकृत ऊर्जा उत्पाद और क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा देना होगा। बढ़ते तापमान के कारण बाढ़ से गाद जमने जैसे मामलों से पनबिजली को नुकसान पहुंचता है और इस

लेखक अविनाश मिश्र (प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग) नीति आयोग में सलाहकार हैं। ईमेल: mishra-pc@gov.in
मधुबंती दत्ता नीति आयोग में यंग प्रोफेशनल हैं।

जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे निपट रहा है?

भारत सरकार के प्रमुख उपक्रमों का सार-संग्रह

- 1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन - 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन
- 2 ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन - कार्बन उत्सर्जन में सालाना 98.55 एमटी कटौती
- 3 राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन - शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली
- 4 राष्ट्रीय जल मिशन - जल उपयोग दक्षता में 20 प्रतिशत वृद्धि
- 5 राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन - खेतों में जल प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य
- 6 हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पोषणीय मिशन - हिमालयी ग्लेशियर्स के अत्याधुनिक राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण
- 7 हरित भारत राष्ट्रीय मिशन - वन/गैर-वन क्षेत्रों में 5 मिलियन हेक्टेयर वन/वृक्ष कवर का लक्ष्य
- 8 जलवायु परिवर्तन के ज्ञान का रणनीतिक मंच-जलवायु विज्ञान में अनुसंधान क्षमता विकास
- 9 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोश - स्वच्छ पर्यावरण पहल एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन और वित्तीय सहयोग
- 10 राष्ट्रीय अनुकूलन कोश - अन्य क्षेत्रों के साथ कृषि, जल एवं वानिकी क्षेत्रों में अनुकूलन जरूरतों पर कार्य



समूचा दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे कम शहरीकृत क्षेत्रों में से है, जहां की 1.4 अरब आबादी का केवल 28 प्रतिशत हिस्सा शहरों में रहता है। हालांकि, 2.53 प्रतिशत की शहरी विकास दर वैश्विक और स्थानीय औसत (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाजन 2007) से आगे निकल गया है, जिस कारण देश के शहर विकास की उच्च दर छू चुके हैं। वहीं, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से अचानक उठने वाली शहरी-ग्रामीण गतिविधियों से अवसरंचना विभेद, सामाजिक सेवा की कमी और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण शहरी प्रबंधन की चुनौतियां सामने आएंगी।

दूसरी ओर, बढ़ते समुद्र स्तर, तापमान और तीव्र जलवायु घटनाओं से दक्षिण एशियाई शहरों की संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। समुद्र तट से 10 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित नगरों में क्षेत्र की 14 प्रतिशत के करीब महानगरों की आबादी रहती है, जिसका आंकड़ा 40 करोड़ बैठता है। इस अनुसार, दिल्ली, ढाका, कोलकाता और मुंबई जैसे महानगरों पर सबसे अधिक असर पड़ेगा।

जलवायु सुधार्यता सूचकांक (सीवीआई) के अनुसार, बाढ़, सूखे और चक्रवातों जैसी भीषण जलवायु घटनाओं का सबसे अधिक असर असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार पर पड़ेगा। सूचकांक के अनुसार, भारत की आबादी का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा उन जिलों में रहता है जो सीधे जलीय-दुर्घटनाओं की पहुंच में हैं। इसलिए, अतिवादी जलवायु घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए भारत में जिलावार जलवायु कार्यकारी योजना बनाए जाने की जरूरत है। सीईडब्ल्यू रिपोर्ट के अनुसार, केवल 63 प्रतिशत भारतीय जिलों में जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) है।

जलवायु संकट की भीषणता नित बढ़ने के कारण, भारत को अनुकूलन आधारित जलवायु कार्रवाई हेतु वित्त की जरूरत रहेगी। विकसित देशों को 2009 से सीओपी-26 में पुनःविश्वास प्राप्ति के लिए 100 अरब डॉलर्स देकर अगले दशक के दौरान वित्त में वृद्धि करनी होगी। साथ ही, भारत को अन्य देशों के साथ मिलकर, जलवायु बीमा की भूमिका निभाने वाले ग्लोबल रिज़िलिएस रिज़्वं फंड स्थापित करना होगा।

दरअसल, 130 खरब अमेरिकी डॉलर्स की संयुक्त पूँजी वाले 400 वित्तीय संस्थानों (ग्लासगो फाइनेंशियल एलायंस फॉर नेट जीरो (जीएफएनजेड) के जरिए) ने 2030 तक अपने उत्सर्जनों को नेट-जीरो करने का संकल्प लिया है। इस नए गठबंधन से पता चलता है कि बैंक, एसेट मैनेजर और एसेट मालिक पहले की प्रदूषण फैलाने वाली उच्च-कार्बन अर्थव्यवस्था के खतरों और जलवायु सक्रियता के महत्व को समझते हैं। अब इंतजार इन संस्थानों द्वारा कार्य को रफतार देने का है ताकि वह विशुद्ध वैज्ञानिक आधार को प्रयोग में लाते हुए, अपने नेट-जीरो लक्ष्य का मध्यवर्ती लक्ष्य प्राप्त करें।

अगले दस वर्षों में जरूरी ऊर्जा रूपान्तरण के लिए 'ग्रीन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स' प्रस्तावित वित्तीय सहयोग का बड़ा अंश उपलब्ध करा सकते हैं। व्यावहारिक तौर पर, निजी क्षेत्र की अपार संपदा का छोटा-सा प्रतिशत ही उधरती अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचता है, और वह भी कुछेक देशों में असंगत रूप से फैला हुआ है। ओईसीडी के अनुमान के अनुसार, 2019 में जलवायु वित्त के लिए जुटाए गए 80 अरब डॉलर्स में से केवल 16.5 अरब डॉलर्स निजी क्षेत्र से आए थे।

कारण बिजली की अधिक मांग के दिनों में उसकी आपूर्ति के इंतजाम करने जरूरी होते हैं। वहीं संधारणीय आर्थिक विकास के लिए अधिक मजबूत ऊर्जा क्षेत्र की जरूरत है। इसलिए नवीकृत ऊर्जा विकास और स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, प्रसारण और वितरण तंत्र को सुचारू बनाने के लिए भारत को औद्योगिक संस्थाओं, स्थानीय बैंकों, ऊर्जा उत्पाद में दक्ष एजेंसियों के साथ काम करना चाहिए।

भविष्य के लिए भारतीय उत्सर्जन की वृद्धि रेखा 2 डिग्री तक मापी गई है। हालांकि, अभी तक भारत की क्षेत्रीय नीतियां पेरिस समझौते के अनुसार नहीं बनी हैं, फिर भी देश का नवीकृत ऊर्जा क्षेत्र एक सकारात्मक संकेत है। 2030 तक भारत का महत्वाकांक्षी 500 गीगावाट नवीकृत ऊर्जा लक्ष्य और ऊर्जा क्षेत्र में अधिकाधिक निपुणता, ग्लासगो की सीओपी26 समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गए विशिष्ट राष्ट्रीय वक्तव्यों में से एक था।

विकास और पर्यावरण के असर की प्राच्य अवधारणा मिथ्याजनित विचार है। विकास के लिए भारत को अपने हिस्से का समुचित कार्बन स्पेस चाहिए। इसके लिए, या तो पश्चिम जगत भारत को उसकी विकास दर तेज़ करने के लिए नवीकृत ऊर्जा हेतु साफ तकनीक स्थापित करने दे या फिर समुचित धन उपलब्ध कराए या फिर पश्चिम को खुद अपने उत्सर्जन पर रोक लगानी होगी ताकि आगामी वर्षों में भारत के बढ़ते उत्सर्जन को स्वीकार्यता मिले।

जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कार्बन स्पेस के समुचित वितरण, उत्सर्जन कम करने और रूपांतरण जैसे मुद्दों के अनुसार जलवायु परिवर्तन पर व्यापक विचार पर जोर देगा। भारत हरित एवं समावेशी विकास के लिए लचीलेपन, वित्तीय लामबंदी, तकनीक हस्तांतरण और संधारणीय जीवनशैली की जरूरत पर भी बल देगा।

बढ़ते तापमान के साथ बदलते वर्षा स्वरूप से मृदा की नमी और जल अवरोधन की क्षमता में कमी आ सकती है, जिससे घरों और उद्योगों की जलापूर्ति, पनबिजली उत्पादन और कृषि उत्पाद पर

कोयले पर अपनी अधिकाधिक निर्भरता के कारण, भारत विश्व में ग्रीनहाउस गैसों का सातवां सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। वैश्विक स्तर पर अन्य विकासशील देशों के सबसे नीचे रहने के बावजूद भारत इस स्थान पर है।

असर पड़ सकता है। 2050 तक, वर्षा और हिमनदियों के पिघलने में परिवर्तनों पर क्षेत्र की बड़ी नदियों में उफान आ सकता है। वहीं, इस सदी के उत्तरार्द्ध में नदियों के बहाव में कमी आने की संभावना है, जिससे पानी की व्यापक कमी आ सकती है।

लिहाजा, जलवायु परिवर्तन और कृषि, जल एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में कमजोरी दूर करने से जुड़ी नीति और तकनीकी मार्गदर्शन की हमें सख्त जरूरत है। हमारी जलक्षेत्रीय परियोजनाएं जलवायु परिवर्तन

की मार झेल हो समुदायों और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लिए जलप्लोत प्रबंधन और बेकार जाते पानी को बचाने के अनुसार होनी चाहिए। इसके लिए सामुदायिक और आर्थिक लचीलेपन के अनुसार एकीकृत जल स्रोत प्रबंधन योजनाएं जरूरी हैं।


कार्बन पर रोक लगाने के लिए हमारा ध्यान भूमि उपयोग और वनों पर होना चाहिए। ग्रीनहाउस गैसों का एक-तिहाई कारण वनों को कृषि योग्य भूमि में बदलने से जुड़ा है, जिसका गहरा असर क्षेत्र की जैवविविधता पर पड़ता है। निचले क्षेत्रों की बढ़ती लवणता, गाद संतुलन में परिवर्तन और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों का कृषि उत्पाद पर असर पड़ेगा जिससे अंततः कृषि योग्य भूमि में कमी आएगी। प्राकृतिक आपदाओं और तीव्र घटनाओं का भी कृषि पर असर पड़ता है। मानसून बारिशों का कृषि उत्पाद पर व्यापक असर पड़ता है। इस कारण जलवायु परिवर्तन से उठने वाले जलीय तंगी के कारण फसल उत्पाद में असाधारण कमी देखी जा सकती है। इस कारण चावल, मक्का, गेहूं और सोयाबीन जैसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों की कीमतें

बढ़ेंगी जिस कारण 2050 तक क्षेत्र में कृपोषण के मामले भी बढ़ सकते हैं। हालांकि, वानिकी और कृषि भूमि प्रबंधन और भंडारन सहित एकीकृत जल विकास जैसी किफायती नीतियों के जरिए ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाई जा सकती है।

कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए हमें प्रतिस्पर्धी और निवास योग्य शहरों का निर्माण करना होगा। इसके लिए, ग्रीनस्पेस, ऊर्जा-मितव्ययी इमारतें और जल सप्लाई के अलावा, कचरे तथा शहरी यातायात से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन रोकना बड़ी प्राथमिकताएं हैं। संधारणीय यातायात पहल को बढ़ावा देकर सरकारें कम-कार्बन, सुरक्षित और आर्थिक तौर पर मुफीद

प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक परिदृश्य

भारत की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से काफी कम है



सभी क्षेत्रों में तत्काल और गहन उत्सर्जन में कमी के बिना, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना पहुंच से बाहर है

#IPCC

#ClimateReport

यातायात व्यवस्था स्थापित कर सकती हैं। इससे अन्य देशों को समावेशी, स्वच्छ और ऊर्जा क्षेत्र में मितव्यी यातायात परियोजनाएं तथा संतुलित यातायात नियम विकसित करने का अवसर मिलेगा। इस तरह, जलवायु-पक्षधर विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्र के जलस्रोतों पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर हमें साफ नजर आता है।



बेहतर स्थिति में हैं।

अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए भारत की कार्य योजना में विद्युत उत्पाद में नवीकृत ऊर्जा का हिस्सा, जीवाशम-ईंधन आधारित व्यवसायों के विजलीकरण, ग्रीन हाइड्रोजन का व्यावसायिक उत्पाद और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना जरूरी है। वहीं, देश को जैव ईंधनों और कार्बन पृथक्करण, निम्न कार्बन ऊर्जा के इस्तेमाल तथा खुद को ऊर्जा उत्पाद प्रक्रिया में अधिकाधिक स्थायी बनाना होगा। उपरोक्त नीति से ना केवल देश में रोज़गार की अपार संभावनाएं बनेंगी बल्कि देश स्थायी विकास पथ पर भी अग्रसर होगा।

वैश्विक पर्यावरणीय विचार में जर्मनवॉच द्वारा प्रकाशित वैश्विक वायु जोखिम सूचकांक के अनुसार भारत 10 सबसे असुरक्षित देशों में से है। अपनी जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए हमें हमारे अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों को बदलना होगा। इस दिशा में सबसे पहली जरूरत अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को सुनिश्चित करना है। दूसरा, तीव्र उत्सर्जन करने वाले उद्योगों का विकार्बनीकरण करना जरूरी है। हालांकि, भारत ने तीव्र उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन तेज शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण लौह और इस्पात, रसायन और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को रोका जाना जरूरी है क्योंकि उनके उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि हुई है। तीसरा, हमें वनों, महासागरों और आर्द्र प्रदेशों जैसे ज्यादा 'कार्बन सिंक्स' या कार्बन-स्टोरिंग पारिस्थितिकी तंत्रों की जरूरत है। उत्सर्जन में कमी लाने के हमारे प्रयासों को सहयोग देने वाले अधिक कार्बन सिंक्स तैयार किए जाने चाहिए। इस दिशा में, प्राकृतिक संसाधनों से अपना जीविकोपार्जन चलाने वाले और पर्यावरण के सानिध्य में रहने वाले स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इन तथ्यों के बावजूद, भारत को नेट-जीरो की दिशा में ले जाने वाला जबाबदेह कोई मंत्रालय नहीं है। ऐसे में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफसीसी) और भारी उद्योग मंत्रालय (विजली वाहनों को प्रोत्साहन देने वाली योजना का संचालक) भारत की अविरल विकास धारा को सुनिश्चित करने के कर्णधार बन सकते हैं। ■

बाल-संरक्षण

समीरा सौरभ

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है- ऐसा अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की आधी आबादी भारत सहित नौ देशों से होगी। किसी भी देश के लिए, बच्चे भविष्य की पूँजी होते हैं। ये ऐसी संपत्ति हैं, जिन्हें पोषित करने की आवश्यकता होती है, यदि सही मायने में जनसंख्या के लाभ प्राप्त करना है। 2020 में महामारी की चपेट में आने के बाद, हजारों बच्चे अनाथ हो गए हैं। 30 मिलियन अनाथ और परित्यक्त बच्चों के लिए नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए और बच्चों की देखभाल संबंधी नीतियों को तत्काल लागू करके इन पर ध्यान दिया जा सकता है।

भा

रत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा- लगभग 158 मिलियन, 0-6 साल के आयु वर्ग के बच्चे हैं।¹ भारत में 18 साल की उम्र तक के 472 मिलियन बच्चे हैं जो देश की कुल आबादी का 39 प्रतिशत हैं। भारत में लगभग 30 मिलियन अनाथ और परित्यक्त बच्चे हैं- जो कि युवा आबादी का लगभग 4 प्रतिशत हैं।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, भारत में 29.6 मिलियन अनाथ और परित्यक्त बच्चे हैं। हालांकि, निजी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2017 में इन 30 मिलियन बच्चों में से केवल 470,000 बच्चे संस्थागत देखभाल में थे। इनमें से, केवल एक छोटा सा हिस्सा लगभग आधा मिलियन बच्चों को ही परिवार की देखभाल मिल पाती है, क्योंकि भारत में गोद लेने की दर बहुत कम है। इसका मतलब है कि बाल विकास पर सरकार

के ध्यान में, एक बड़ा पुनर्समायोजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में लाखों बच्चे, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का जीवन जीने के अवसरों से वंचित हैं। भारत में गोद लेने की दर हमेशा कम रही है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें और गिरावट आई है। सरकार के केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) के आंकड़े बताते हैं कि 2010 में, देश में 5,693 बच्चों को और 2017-2018 में, केवल 3,276 बच्चों को गोद लिया गया। यह गिरावट इसलिए हुई क्योंकि छोड़े गए लगभग 30 मिलियन बच्चों में से केवल 261,000 ही संस्थागत देखभाल के अधीन हैं, जो कि केवल 0.87 प्रतिशत है।

आंकड़ों से पता चलता है कि जहां 29,000 से अधिक दंपत्ति बच्चों को गोद लेने के इच्छुक हैं, वहाँ केवल 2,317 से 3,000 बच्चे ही गोद लेने के लिए उपलब्ध हैं। भारत में दत्तक ग्रहण कानून सख्त हैं, जिसके कारण गोद लेने की संख्या काफी कम है। मार्च

**आइए, देश के हर लापता बच्चे को
फिर से उसके परिवार में शामिल करें।
किसी भी माता-पिता के लिए अपने बच्चे के बिना
रहने से बड़ा कोई बोझ या दुःख नहीं हो सकता।**

आपात स्थिति में डायल करें:

1098 चाइल्डलाइन के लिए

100 पुलिस के लिए



लेखिका भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने जी-20 के सामाजिक क्षेत्र और विकास एजेंडा के लिए काम किया है और विकासात्मक अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ हैं। ईमेल: sameera.saurabh@gmail.com

2019-2020 से केवल 3,351 बच्चों को गोद लिया गया है। यह गोद लेने वाले बच्चों और भावी माता-पिता के बीच एक व्यापक अंतर को दर्शाता है। भारत में गोद लेने के निम्न स्तर के कई कारण हैं।

सबसे पहले, गोद लेने के लिए पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि परित्यक्त बच्चों का संस्थागत देखभाल में अनुपात बहुत कम है। भारत में बच्चों को सड़कों पर होना सबसे आम नजारा है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी को सड़क पर रहने वाले बच्चों को बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) में पहुंचाना चाहिए, और यदि उनके माता-पिता नहीं मिलते हैं, तो उन्हें गोद लेने के लिए रखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 5,850 पंजीकृत और 8,000 से अधिक गैर-पंजीकृत सीसीआई हैं। नियमों के अनुसार, केवल पंजीकृत संस्थान को ही गोद लेने वाली एजेंसियों से जोड़ा जा सकता है। सभी पंजीकृत और गैर-पंजीकृत सीसीआई में 2,32,937 बच्चे हैं। हालांकि, भारत में सभी सीसीआई कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं। गैर- पंजीकृत संस्थानों में बच्चे खराब देखभाल, शारीरिक हिंसा, यौन शोषण और तस्करी का शिकार हो सकते हैं। सरकार को लाखों बच्चों को संस्थागत देखभाल और एक परिवार का हिस्सा बनाने के लिए उन्हें सड़कों से हटाने की रणनीति के साथ-साथ अधिक सीसीआई स्थापित करने पर अधिक संसाधन लगाने चाहिए। यह तब हो सकता है जब सरकार, गैर- पंजीकृत सीसीआई को बंद करने, जिला स्तर के बाल-संरक्षक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने और बच्चा चाहने वालों के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में गोद लेने पर देशव्यापी अभियान चलाने के लिए अपना ध्यान, धन और संसाधनों को बढ़ाए।

विकलांगता और दत्तक ग्रहण

जनवरी 2020 में, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

बाल विकास पर सरकार के ध्यान में, एक बड़ा पुनर्समायोजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में लाखों बच्चे, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का जीवन जीने के अवसरों से वंचित हैं। भारत में गोद लेने की दर हमेशा कम रही है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें और गिरावट आई है।

(सीएआरए) ने गोद लेने की प्रक्रिया में सुधार कर इसे सुव्यवस्थित करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर राय ली। चर्चा के अन्य बिंदुओं में, यह भी सामने आया कि संस्था ने 14 उप-श्रेणियों में फैले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का वर्गीकरण तैयार किया है।

यह वर्गीकरण संभावित दत्तक माता-पिता को बच्चों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और गोद लेने की संभावनाओं को बढ़ाने में सक्षम करेगा।

हालांकि, सीएआरए द्वारा साझा किए गए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2018 और 2019 के बीच केवल 40 दिव्यांग बच्चों को गोद लिया गया था, जो वर्ष में गोद लिए गए बच्चों की कुल संख्या का लगभग 1 प्रतिशत है।

वार्षिक रुझानों से पता चलता है कि हर गुजराते साल के साथ विशेष जरूरतों वाले बच्चों का घेरेलू दत्तक ग्रहण कम हो रहा है। साथ ही, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेने वाले विदेशी लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि एक 'स्वस्थ' बच्चे के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

वर्ष 2015 में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) की शुरुआत के साथ, गोद लेने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया। यह प्राधिकरण, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। यह प्रणाली गोद लेने वाले बच्चों और भावी माता-पिता के केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करती है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और देश में और अंतरराष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण की निगरानी और विनियमन के लिए अनिवार्य है। सीएआरए को 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतर-राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण पर 1993 हेंग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण से निपटने के

लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है?

यह, प्राथमिक रूप से मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से 'अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण' बच्चों को गोद लेने से संबंधित है। 2018 में, प्राधिकरण ने लिव-इन संबंधों वाले व्यक्तियों को भारत से और उसके भीतर बच्चों को गोद लेने की अनुमति दी। हालांकि इसका मुख्य फोकस गोद लेने की प्रक्रिया को तेज करना है, क्योंकि प्रतीक्षा अवधि लंबी होती जा रही है।

भारत में दत्तक ग्रहण प्रथा



संशक्त महिलाएं-समृद्ध राष्ट्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहलः

- मिशन पोषण 2.0
- मिशन शक्ति
- मिशन वात्सल्य
- मिशन शक्ति के तहत बजट आबंटन में 50 प्रतिशत की वृद्धि
- 2.1 लाख आंगनवाड़ियों का सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा।



मुख्य रूप से हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 (एचएमए) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जेजे अधिनियम) के अनुसार लागू होता है। दोनों कानूनों के अलग-अलग प्रावधान और उद्देश्य हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम हिंदुओं को और उनके द्वारा गोद लेने को नियंत्रित करता है। यहां 'हिंदुओं' की परिभाषा में बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। यह एक दत्तक बच्चे को स्वाभाविक रूप से पैदा हुए बच्चे के सभी अधिकार देता है, जिसमें विरासत का अधिकार भी शामिल है।

जेजे अधिनियम बनने तक, अभिभावक और बच्चा अधिनियम (जीडब्ल्यूए), 1980, गैर-हिंदू व्यक्तियों के लिए बच्चों के अभिभावक बनने का एकमात्र ज़रिया था।

चूंकि जीडब्ल्यूए व्यक्तियों को कानूनी अभिभावक के रूप में नियुक्त करता है, न कि प्राकृतिक माता-पिता के रूप में, अतः बच्चे के 21 वर्ष के हो जाने और व्यक्तिगत पहचान ग्रहण करने के बाद संरक्षकता समाप्त कर दी जाती है।

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में हितधारक

1. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, समय-समय पर दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है और दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के विभिन्न हितधारकों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।
2. राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एसएआरए) - राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण

संसाधन प्राधिकरण के साथ समन्वय में गोद लेने और गैर-संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देने तथा निगरानी करने के लिए राज्य के भीतर एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करती है।

3. स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी (एसएए) - एसएए को बच्चों को गोद लेने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।
4. प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (एएफएए) - प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी को एक विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे सीएआरए द्वारा भारतीय बच्चे को गोद लेने वाले नागरिक के देश के संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर गोद लेने से संबंधित सभी मामलों के समन्वय के लिए अधिकृत किया गया है।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) - डीसीपीयू, अधिनियम की धारा 61 के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक इकाई है। यह जिले में अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की पहचान करता है और उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करता है।

कानूनी अभिभावक या देखभाल के बिना रह रहे 30 मिलियन बच्चों में से, आधे मिलियन से भी कम वास्तव में संस्थागत देखभाल में हैं। बाकी को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो दुर्व्विवाह और तस्करी का शिकार हो जाते हैं। वास्तव में देखभाल गृहों में इतने कम बच्चे होने के कारण, कानूनी रूप से गोद लेने के लिए अधिकांश अनाथ उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, भावी माता-पिता की अपनी पसंद होती है, जिनमें से अधिकांश बिना विकलांगता के और 0-2 वर्ष की आयु के बीच

के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। भारत में अनाथों खासकर सड़कों पर रहने वालों के लिए कई खतरे हैं। सबसे बड़े जोखिमों में से एक, उनका शोषण है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार, देश में अनाथ और निराश्रित बच्चे 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' (सीएनसीपी) हैं। अधिनियम के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। महिला और बाल संरक्षण मंत्रालय, कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सहायता करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना (तत्कालीन एकीकृत बाल संरक्षण योजना) लागू कर रहा है। योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों की है। सीपीएस के प्रावधानों के तहत, केंद्र

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) की शुरुआत के साथ, गोद लेने की प्रक्रिया में परिवर्तन आया। यह प्राधिकरण, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। यह प्रणाली गोद लेने वाले बच्चों और भावी माता-पिता के केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करती है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है और देश में और अंतर्राष्ट्रीय दत्तक-ग्रहण की निगरानी और विनियमन के लिए अनिवार्य है।

सरकार अन्य बातों के साथ-साथ कठिन परिस्थितियों में बच्चों का स्थितिजन्य विश्लेषण करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत, सीसीआई में ‘देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों’ और ‘विधि वैषम्य में बच्चों’ को संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है। यह योजना गैर-संस्थागत देखभाल भी उपलब्ध कराती है जिसमें गोद लेने, पालक देखभाल और आर्थिक संरक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

आईसीपीएस (अब, सीपीएस) के

- तहत विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय मानदंडों को 1 अप्रैल 2014 से संशोधित किया गया था। संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताओं में बाल-गृहों में बच्चों के लिए रखरखाव अनुदान को 750 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह करना शामिल है। 1 अप्रैल 2017 से अन्वेला एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत आईसीपीएस को उप-योजना के रूप में सीपीएस नाम दिया गया था। उक्त आदेश के अनुसार निम्नलिखित संशोधन प्रभावी हुए हैं:
- बाल-गृहों में बच्चों के लिए भरण-पोषण अनुदान को बढ़ाकर 2,160 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह कर दिया गया।
 - बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का बैठक भत्ता नए जेजे मॉडल नियम, 2016 के अनुसार 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है।
 - विस्तार और उभरती सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के लिए कार्यक्रम संबंधी आवंटन में 9.70 करोड़ रुपये तक की वृद्धि की गई।

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है कि सीधे रिशेदारों के बीच हिंदू दत्तक ग्रहण के मामले, सीएआरए के पास नहीं आते और इस प्रकार गोद लेने के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस पृष्ठभूमि में, समिति ने सिफारिश की है कि गोद लेने की प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले विभिन्न नियमों पर बारीकी से विचार करके गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है और मंत्रालय उन व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रहे संबंधित विशेषज्ञों के साथ जुड़ सकता है, जिनका सामना संभावित माता-पिता कर रहे हैं।

पैनल ने सिफारिश की है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मुद्दे पर विभिन्न मंचों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके अलावा संभावित माता-पिता को ऐसे बच्चों को गोद लेने के लिए नियमित रूप से संवेदनशील बनाना है। 2018 में,

मिशन शक्ति: इस योजना के तहत एकीकृत देखभाल, सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वास और सशक्तीकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए एक एकीकृत नागरिक-केंद्रित जीवनचक्र सहायता की परिकल्पना की गई है, क्योंकि वे अपने जीवन के विभिन्न चरणों में प्रगति करती हैं। मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं -संबल और सामर्थ्य हैं।

आश्रय गृहों पर एनसीपीसीआर की एक सोशल ऑफिट रिपोर्ट से पता चला था कि 2,874 बाल गृहों में से केवल 54 को जेजे अधिनियम का अनुपालन करते हुए पाया गया था, और जिन 185 आश्रय गृहों का ऑफिट किया गया था, उनमें से केवल 19 में बच्चों के रिकॉर्ड थे।

मंत्रालय बच्चों के कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है। उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में मिशन मोड में लागू होने वाली

3 महत्वपूर्ण अम्ब्रेला योजनाओं को मंजूरी दी है। ये हैं- मिशन वात्सल्य, मिशन पोषण 2.0 और मिशन शक्ति।

मिशन वात्सल्य: इस मिशन में, नीति निर्माताओं द्वारा बच्चों को सर्वोच्च राष्ट्रीय संपत्ति में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना; बच्चों के विकास के लिए संवेदनशील, सहायक और समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना; जेजे अधिनियम 2015 के अधिदेश को पूरा करने में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों की सहायता करना और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य की कार्रवाई में खामियों को दूर करना, लैंगिक समानता और बाल-केंद्रित कानूनों, नीतियों तथा कार्यक्रमों को बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण को बढ़ावा देना है।

मिशन पोषण 2.0: यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जो पोषण सामग्री और वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने और स्वास्थ्य, कल्याण तथा प्रतिरक्षा का पोषण करने वाले कार्यकलापों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने और स्वास्थ्य, कल्याण तथा प्रतिरक्षा का पोषण करने वाले कार्यकलापों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का प्रयास करता है।

मिशन पोषण 2.0: यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जो पोषण सामग्री और वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने और स्वास्थ्य, कल्याण तथा प्रतिरक्षा का पोषण करने वाले कार्यकलापों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक अभिसरण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का प्रयास करता है।

कार्यक्रम के तहत, टीएचआर के पोषण संबंधी मानदंडों, मानकों, गुणवत्ता तथा परीक्षण में सुधार किया जाएगा और पारंपरिक सामुदायिक भोजन की आदतों के अलावा अधिक से अधिक हितधारक और लाभार्थी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। पोषण 2.0 तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/योजनाओं अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए योजना और पोषण अभियान को अपने दायरे में लाएगा।

मिशन शक्ति: इस योजना के तहत एकीकृत देखभाल, सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वास और सशक्तीकरण के माध्यम से महिलाओं के लिए एक एकीकृत नागरिक-कोंट्रिट जीवनचक्र सहायता की परिकल्पना की गई है, क्योंकि वे अपने जीवन के विभिन्न चरणों में प्रगति करती हैं। मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं -संबल और सामर्थ्य हैं।

संबल उप-योजना में वन स्टॉप सेंटर की मौजूदा योजना, 181 महिला हेल्पलाइनें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शामिल हैं। इसके अलावा, नारी अदालतों का एक नया घटक, समाज और परिवारों के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने तथा सुविधा प्रदान करने के लिए महिलाओं के समूह के रूप में जोड़ा गया है। सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है, जिसमें उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास की मौजूदा योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), जो अब तक अम्बेला आईसीडीएस योजना के तहत रही है, को भी सामर्थ्य उप योजना में शामिल किया गया है।

तीनों मिशनों को 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा।

बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना 29 मई 2021 को उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी, जिन्होंने 11 मार्च 2020 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान माता-पिता या कानूनी

अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य है बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई को सक्षम बनाना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना, और उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार करना। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम अन्य बातों के साथ-साथ इन बच्चों को अभिसरण दृष्टिकोण, शिक्षा, स्वास्थ्य, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (पीएम-जेवाई)
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना, सूचीबद्ध सर्वजनिक और निजी क्षेत्र के माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन के तहत सहायता के लिए पहचाना गया बच्चा 5 लाख रुपये के कवर का हकदार होगा।

सरकार सुपोषित तथा खुशहाल बच्चों और आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए ऐसी सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रयास करती है जो सुलभ, सस्ती, विश्वसनीय और सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा से मुक्त हों। ■

संदर्भ

1. 2011 की जनगणना के आंकड़े।



**बुनिंदा ई-बुक
एमेज़ॉन और गूगल प्ले
पर उपलब्ध**

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन लारीदाने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑर्डर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ई-मेल : businesswng@gmail.com
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

हमारे प्रकाशन

गांधी साहित्य, भारतीय इतिहास,
जाने-माने व्यक्तियों की जीवनियां, उनके आषण और लेखन,
आधुनिक भारत के निर्माता वृंखला की पुस्तकें,
कला एवं संस्कृति, बाल साहित्य

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना मंत्र, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोही रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

 /dpd_india
 @DPD_India
 /publicationsdivision

प्रोत्साहन, प्रतिरक्षा और सुरक्षा का तिहरा कवच

डॉ रहीस सिंह

19

91 के बाद के तीन दशकों में दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तित होता दिखा। विश्वव्यवस्था भी पूर्ववत नहीं रही, यह अलग बात है कि नई विश्वव्यवस्था अभी आकार नहीं ले पायी। इस दौर में नई प्रतियोगिताओं, नए संयोजनों और नई तरह की चुनौतियों का सामना दुनिया ने किया। मोटे तौर पर पहले दो दशकों में उदारवाद और निजीकरण के साथ-साथ वैश्वीकरण के सहारे इस आशावाद के साथ आगे की दुनिया को वैश्विक गांव के रूप में पेश किया जाने लगा लेकिन जल्द ही इस अवधारणा पर प्रश्न चिह्न लग गया।

दूसरी तरफ उसी काल में दुनिया भर में आर्थिक संकटों का दौर भी रहा, चाहे वह एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का संकट रहा हो, जिसमें एशियन टाइगर कही जाने वाली अर्थव्यवस्थाएं 'लैम डक' की श्रेणी में पहुंच गयी थीं या फिर 2008 का अमेरिका का सब-प्राइम संकट हो जिसने अमेरिका के प्रभुत्व के आगे एक प्रश्न चिह्न खड़ा कर दिया। इन उतार चढ़ावों में अर्थव्यवस्थाओं ने तो चुनौतियां देखी हीं लेकिन दुनिया के लोग इसी दौर में अस्तित्व के संकट से गुजरे, विशेषकर वे जो साधनहीन थे या किसी प्रकार की निःशक्तता से प्रभावित थे। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास के इस दौर में पूरी दुनिया भर में सामाजिक असुरक्षा का वातावरण भी निर्मित हुआ। इस कड़ी में कोविड-19 जैसी महामारी ने असुरक्षा के वातावरण को और जटिल बनाने का कार्य किया। हालांकि इस कालखण्ड में भारत के सामने उस तरह की चुनौतियां नहीं आयीं जिनसे शेष विश्व का सामना हुआ था। इसकी दो वजहें रहीं। पहली यह कि भारत उतनी तेज़ रफ्तार से बाज़ारवादी पूँजीवाद के साथ आगे नहीं बढ़ा बल्कि वह सर्विधान में उल्लिखित नीति निरेशक तत्वों में निहित कल्याण व सुरक्षा की अवधारणा के साथ आगे बढ़ा। दूसरी यह कि भारत ने इस दौर में सामाजिक पूँजी को विशेष तरजीह दी और उसमें निवेश पर विशेष बल दिया।

दरअसल समाजिक सुरक्षा के लिए किए गये प्रयास उन लोगों के लिए कई प्रकार से सहयोगी बनते हैं जो तेजी से आगे बढ़ती हुई लेकिन परिवर्तनशील व्यवस्था में अलग-थलग पड़ जाने अथवा प्रतियोगिता की क्षमता न होने के कारण आत्मनिर्भरता की भी परिधि से बाहर चले जाते हैं। यहीं पर समाज, राज्य एवं कार्पोरेट क्षेत्र की भूमिका की जरूरत शुरू हो जाती है। इनके द्वारा दिया गया संबल इन वर्गों को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन देता है जिससे निःशक्त अथवा मुख्यधारा से कटे हुए लोगों/वर्गों को आत्मनिर्भरता की ओर जाने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

प्रोत्साहक, सुरक्षात्मक और प्रतिक्षात्मक कवच

विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार मोटे तौर पर सामाजिक सुरक्षा को तीन तरह से उपलब्ध कराया जा सकता है। पहला है-प्रोत्साहक (इनकरेजिंग) जबकि दूसरा और तीसरा क्रमशः सुरक्षात्मक (प्रोटेक्टिव) और निःशक्तात्मक (इम्प्रॉनिटाइज्ड)। हालांकि ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक या अन्योन्याश्रित हैं लेकिन कोई भी एक घटक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

प्रोत्साहन उपाय

प्रोत्साहक के तहत किसी भी व्यक्ति या वर्ग की उसकी मूल क्षमता, योग्यता अथवा व्यवसाय या व्यवहार को लक्षित कर ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे वह आगे बढ़ सके अथवा अपनी कुशलता एवं क्षमता का प्रयोग कर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत अल्प और दीर्घकाल, दोनों प्रकार से ही उसकी आय एवं जीवन स्तर पर सुधार लाना सुनिश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिए 'मिड-डे मील' जैसे कार्यक्रमों को ले सकते हैं। इससे न केवल स्कूलों में उपस्थिति और बच्चों के पोषण में सुधार होता है। बल्कि यह भविष्य की दृष्टि से मानव पूँजी को बेहत और योग्य बनाने में सहायक होता और रोज़गार की संभावनाओं में भी वृद्धि का वाहक बनता है। एक और बात, इसके माध्यम से न केवल बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाता है बल्कि 'पूरक पोषण' के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास का आधार भी विकसित किया जाता है। दूसरी तरफ इसके सामाजिक-आर्थिक व लैंगिक परिप्रेक्ष्य भी हैं क्योंकि इससे समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता मिलती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

इसी प्रकार सशर्त नकदी ट्रांसफर को भी लिया जा सकता है जो मानव पूँजी में निवेश का महत्वपूर्ण जरिया होता है। नेशनल रूरल लवलीहुड मिशन इस दिशा में एक बेहतर प्रयास माना जा सकता है जो आजीविका से टिकाऊ रोज़गार के विकास को प्रोत्साहन देकर सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक निर्णयीक भूमिका निभाता है।

प्रतिरक्षात्मक उपाय

साधनविहीनता सबसे सामाजिक असुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो परिवार या परिवार के प्रमुख साधन विहीन होते हैं उन्हें आने वाले प्रत्येक कल की चिंता रहती है। यह कि यदि मजदूरी नहीं मिली तो परिवार का क्या होगा? यदि किसी प्रकार की बीमारी से प्रभावित हो गये इलाज कैसे होगा और परिवार का पेट कैसे पलेगा। इसे देखते हुए प्रत्येक नागरिक प्रतिरक्षात्मक उपाय चाहता है ताकि कल के रोज़गार या भोजन की गारण्टी रहे। ऐसे उपायों को निरोधात्मक/प्रतिरक्षात्मक उपाय की श्रेणी में रखा गया है। इसका तात्पर्य है गरीबी और अन्य कठिनाइयों से, उनका आधार होने से पहले ही बचाव और परिवारों को प्रत्याशित आधारों से सुरक्षा प्रदान करना अथवा विशेष रूप से सामाजिक बीमा कार्यक्रमों के माध्यम से जोखिम विफल हो जाने पर उन्हें सहारा देना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम। यह रोज़गार और आय का आश्वासन देने के साथ-साथ परिवारों को गरीबों के दलदल में गिरने से बचता है। इस योजना के तहत सरकार की गरीबों तक सीधे पहुँच सुनिश्चित होती है और विकास के लिए विशेष रूप से उन्हें प्रोत्साहित करने का अवसर भी प्राप्त होता है। सामान्यतया इस अधिनियम का लक्ष्य रोज़गार को बढ़ाना है। लेकिन वास्तव में इसका सीधा लक्ष्य है कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन द्वारा सही उपयोग और गरीबी के कारणों- जैसे सूखा, जंगलों की कटाई, मिट्टी के कटाव आदि को रोकने के प्रयास द्वारा एमजीनरेगा को सही तरीके से विकास के साथ संयोजित करना है।

चूंकि इस योजना में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है, इसलिए यह सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ जेंडर सिक्योरिटी को भी प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। बहुत से स्वतंत्र अध्ययनों से मिले साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जल संरक्षण, निरीक्षण बांध, भूमिगत पानी के भराव, मिट्टी की नमी को बढ़ाने के प्रयासों, मिट्टी के कटाव को रोकने और लघु सिंचाई परियोजनाओं से खेतों की उत्पादकता को बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस प्रकार से यह ग्रामीण आय में वृद्धि का भी एक महत्वपूर्ण जरिया बना है।

जे.ए.एम. तिकड़ी



महत्वपूर्ण जरिया बना है। विस्थापन पर रोक, बाजारों और सेवाओं तक ग्रामीण संपर्क कार्य द्वारा संपर्क बढ़ाने से परिवारों की आमदानी और आबादी के अनुपात के अनुसार महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी है तथा प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसने जीवन जीवनयापन की सुरक्षा की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। मंत्रालय ने इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके तहत प्रतिभागी प्रबंधन का विकेंद्रीकरण, वितरण की प्रणाली में सुधार और लोगों के प्रति जवाबदेही शामिल है। इस योजना के प्रावधानों के प्रति लोगों को जागरूक करने, लोगों के अधिकारों और कार्यान्वयन प्रक्रिया के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिक संगठनों के योगदान के लिए रोज़गार जागरूकता पुरस्कार की शुरुआत की गई है।

जनधन खाता, मोबाइल एवं आधार की तिकड़ी का कमाल

इस श्रेणी में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना आदि को भी रखा जाता है जो व्यक्ति को भविष्य की चिंताओं

को मुकाबला करने के लिए प्रतिरक्षात्मक शक्ति प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने भारत के नागरिकों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराकर न केवल वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य किया है बल्कि उन करोड़ों नागरिकों में एक नया आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान किया है जिनके लिए बैंक में खाता और खाते पैसा होना एक स्वप्न जैसा था। यह योजना 'मेरा खाता-मेरा भाग्य विधाता' के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गयी थी जिसके माध्यम से भारतीय समाज में गरीब वर्ग के लिए सब्सिडी सुरक्षित करना, ऑवरड्राफ्ट सुविधा



श्रमेव जयते: श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित

38 करोड़ असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष



असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस,

ई-श्रम पोर्टल

- 27 करोड़+ श्रमिक डेसे जुड़े



सभी के लिए साध्य सुरक्षा सुनिश्चित

- 5 लाख राशन दुकानों के जरए प्रवासी श्रमिकों की राशन
- महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को 5 किलो नि:शुल्क राशन का वितरण



और पेंशन योजना दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आम जनता के लिए वित्तीय समावेशन का वादा किया था। जबकि उस समय तक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैंकिंग तंत्र से जुड़ा ही नहीं था। जिसके कारण उनकी वित्तीय आवश्यकताएं परम्परागत क्षेत्र के वित्तीय कारोबारी, स्थानीय बनिए या महाजनों पर ही निर्भर होती थीं। यही नहीं वे अपनी जमापूँजी को भी सुरक्षित कारोबारी संस्थाओं या बैंकों में जमा नहीं करते बल्कि महाजनों या पोंजी संस्थाओं के शिकार हो जाते थे। इस योजना से देश भर में वित्तीय सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ ही वित्तीय अस्पृश्यता के युग का अंत हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 'जैम ट्रिनिटी' (जनधन, मोबाइल और आधार के तिहरे संयोजन) ने लीकेज को कमोबेश समाप्त कर दिया जिसका सबसे अधिक लाभ समाज के वंचित और गरीब वर्ग को ही मिला।

मानव पूँजी यदि स्वस्थ नहीं है तो वह अपनी क्षमता का सम्पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाती। इसके एक तो राज्य की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान सुनिश्चित नहीं हो पाता, दूसरे अस्वस्थ व्यक्ति और उसका परिवार निरंतर पीड़ित रहता है। यही नहीं उसे धीरे-धीरे भविष्य की चिंताएं सताने लगती हैं यानी कल क्या होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली केबिनेट द्वारा 15 मार्च 2017 को नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी देने के साथ ही एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की बाधाओं को समाप्त करना है। साथ ही इस योजना के माध्यम से देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या को स्वास्थ्य कवर के दायरे में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी ऐसे ही कदम हैं जो सामाजिक सुरक्षा की दिशा में निर्णायक माने जा सकते हैं। इस श्रेणी में अटल पेंशन योजना को भी शामिल किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए यह योजना लाई गई थी, लेकिन इस योजना में 18 से 40 साल के कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है शर्त यह है कि उनके पास बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए। इसमें में यदि कोई 18 साल का व्यक्ति मात्र 42 रुपये से लेकर 210 रुपये महीने तक का प्रीमियम जमा करता है, तो उसे 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक की पेंशन प्राप्त होगी।

सुरक्षात्मक कवच

सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से तीसरी श्रेणी सुरक्षात्मक या सामाजिक सहायता कार्यक्रमों से सम्बद्धित है। इसके तहत दीर्घकालिक या चिकालिक निर्धारणों को पूर्वावधी आधार पर अथवा उन लोगों को सहायता प्रदान की जाती है जो किसी आघात के कारण गरीब हो गये हैं। सुरक्षात्मक उपायों में भोजन, सामाजिक पेंशन और परिसंपत्तियां, जैसे घर इत्यादि प्रदान किए जाते हैं और परिवारों को अपनी तेजी से घटती आय के कारण अपनी बचत खत्म करने, अपनी परिसंपत्तियों को बेचने या बच्चों को स्कूल से निकालने से रोका जाता है। विभिन्न सार्वजनिक उपायों अथवा स्कीमों के माध्यम से गरीबों को आवास प्रदान खाद्य पदार्थों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे सुरक्षात्मक उपायों द्वारा परिवारों को आवश्यकता के समय पोषण सुरक्षा प्रदान की जाती है लेकिन प्रोत्साहक उपायों के सामने, परिवारों को कोई विशेष व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसका बेहतर उदाहरण हो सकती हैं। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के समय विशेषकर असंगठित क्षेत्र में काम

my
GOV
मेरी सरकार

श्रमेव जयते: श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित

38 करोड़ असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष

अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए रेहड़ी-पटरी वालों को जमानत मुक्त क्राण

- पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को ₹3,200 करोड़ का क्राण

₹3000/ माह के पेंशन योजना से श्रमिकों का भविष्य सुनिश्चित

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से अब तक 465 लाख श्रमिक जुड़े

जीवन हुआ आसान

- 29 श्रम कानूनों को वार श्रम संहिताओं में मिला कर सरल बनाया गया

28

योजना, मई 2022



करने वाले श्रमिकों एवं कर्मकारों और रेहड़ी-पटरी वालों अथवा अन्य प्रकार के दिहाड़ी मजदूरों के सामने कार्य न मिलने के कारण आय के स्रोत बंद हो गये थे। उस दौर में महामारी से बच जाने लेकिन भूख से मरने का भय इन्हें सताने लगा था। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसे श्रमिकों, कर्मकारों आदि के जीवन में एक नया सवेरा लाने का कार्य कर गयी। अप्रैल 2020 में आरम्भ हुई यह योजना अभी भी चल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसके विषय में स्वयं कहा है— “भारत का सामर्थ्य देश के एक-एक नागरिक की शक्ति में समाहित है।...देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे।” इस योजना के तहत लाभार्थी को उसके सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त राशन दिया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक अन्य उदाहरण है। ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ (वन नेशन, वन राशन कार्ड) इस योजना को नई दिशा प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की आधारभूत आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। किसी परिवार के सिर यदि छत होती है तो वह कई प्रकार की सुरक्षा या इम्युनिटी हासिल कर लेता है। दशकों से आजादी का जश्न मना रहे देश में गरीबों को छत भी मयस्सर नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को घर देने की बड़ी पहल की। पीएम आवास योजना की अधिकृत बेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब तक 122.69 लाख भवन स्वीकृत हो चुके हैं। 58.01 लाख पूर्ण हो चुके हैं और 97.02 लाख आवास ग्राउंडेड हैं। सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि आजादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने में यह प्रदेश सबसे आगे रहा है। पिछले पांच वर्षों में इस राज्य में करीब 43 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं जिनमें से अधिकांश पूर्ण हो

चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने सामाजिक सुरक्षा की एक और मिसाल पेश की है। यहां पर कुछ जनजातियां ऐसी थीं जिनका नाम वर्ष 2011 की जनगणना में शामिल न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया, विशेषकर मुसहर, बनटांगिया और थारू जैसी कुछ जनजातीय परिवारों को। इन्हें आवास देने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास योजना आरम्भ की जिसके तहत अब तक लगभग 90 हजार आवास प्रदान किए जा चुके हैं।

कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के समय विशेषकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों एवं कर्मकारों और रेहड़ी-पटरी वालों अथवा अन्य प्रकार के दिहाड़ी मजदूरों के सामने कार्य न मिलने के कारण आय के स्रोत बंद हो गये थे। उस दौर में महामारी से बच जाने लेकिन भूख से मरने का भय इन्हें सताने लगा था। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ऐसे श्रमिकों, कर्मकारों आदि के जीवन में एक नया सवेरा लाने का कार्य कर गयी।

भरण पोषण भत्ते की व्यवस्था कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई।

बहरहाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की बहुत सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जीवन की अनिश्चतताओं से जूझ रहे लोगों को प्रभावी तरीके से न सिर्फ मदद कर रही हैं बल्कि उनके परिवारों को वित्तीय हालातों से उबार कर सुरक्षा कवच प्रदान करने का कार्य कर रही है। वास्तव में ऐसी योजनाएं रस्सी (रोप) और सीढ़ी (लैंडर) की तरह होती हैं जो सामाजिक-आर्थिक संरचना में नीचे रह गये लोगों को ऊपर लाने में मदद करती हैं और उन्हें यह एहसास दिलाती है कि राज्यव्यवस्था उनके साथ है इसलिए उन्हें अनिश्चतता और भविष्य की चिन्ता से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा सुनिश्चित प्रतिरक्षातंत्र उन्हें सुरक्षा का अभेद्य कवच देने में समर्थ है। ■



**PERFECTION
IAS**

An Institute for
UPSC & BPSC

69 SELECTIONS IN BPSC 65th

OUR TOPPERS IN TOP 100



RAGHVENDRA PRATAP
RANK 15
BIHAR ADMINISTRATIVE
SERVICE (BAS)



KESHAV RAJ
RANK 31
SUB REGISTRAR/
JOINT SUB REGISTRAR



ALOK KUMAR
RANK 32
BIHAR POLICE SERVICE
(Dy SP)



SWETA PRIYADARSHI
RANK 33
BIHAR ADMINISTRATIVE
SERVICE (BAS)



NIPUN KUMARI
RANK 39
BIHAR ADMINISTRATIVE
SERVICE (BAS)



KUMAR SUBHAM
RANK 59
DISTRICT COMMANDANT



RAVI KR. ROUSHAN
RANK 69
BIHAR EDUCATION
SERVICE



RISHU RAJ SINGH
RANK 73
BIHAR EDUCATION
SERVICE



KUNDAN KUMAR
RANK 74
BIHAR EDUCATION
SERVICE



RAVI RAJ
RANK 75
RURAL DEVELOPMENT
OFFICER



PARAS KUMAR
RANK 78
BIHAR EDUCATION
SERVICE



MANI BHUSHAN
RANK 91
BIHAR EDUCATION
SERVICE

and many more

📍 103, KUMAR TOWER, BORING RD. CROSSING, PATNA

📞 9155090871/72/73

FACEBOOK /Perfection IAS

Telegram Perfection IAS(Official)

🌐 www.perfectionias.com

किसानों के लिए सुरक्षा चक्र

डॉ जगदीप सक्सेना

खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो लगभग 52 प्रतिशत आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक साधन है और कई प्रमुख उद्योगों के कच्चे माल की प्रमुख स्रोत है। अर्थव्यवस्था के कुल सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा लंबे समय से 18 प्रतिशत रहा था, जो सुधरकर 20.2 प्रतिशत (2020-21) और हाल ही में 18.8 प्रतिशत हो गया। लाखों भारतीय किसान, मछुआरे और पशु पालक वैश्विक मान्यता तथा सराहना पाने वाली भारतीय कृषि की वृद्धि गाथा में मेहनत के साथ योगदान करते हैं। छोटे किसान आम तौर पर आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और मझोली जोत वाले किसानों की तुलना में केवल 39 प्रतिशत एवं बड़ी जोत वालों के मुकाबले 13 प्रतिशत ही कमा पाते हैं। अतः कृषि समुदाय के लिए और विशेषकर छोटे सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाना तथा लागू करना एकदम सही है।

भा

रत में खेती में छोटे तथा सीमांत किसानों (क्रमशः 1 हेक्टेयर से कम तथा 1 से 2 हेक्टेयर के बीच ज़मीन) का बाहुल्य है, जिनकी संख्या देश के कुल किसानों में लगभग 86 प्रतिशत है मगर जिनके पास फ़सल रकबे का केवल 47.3 प्रतिशत हिस्सा है (10वीं कृषि जनगणना, 2015-16)। उनकी तुलना में 2 से 10 हेक्टेयर ज़मीन वाले मझोली जोत वाले किसानों की संख्या 13.2 प्रतिशत है मगर उनके पास कुल फ़सल रकबे का 43.6 प्रतिशत हिस्सा है। छोटी जोत वाले मांग में कमी; ढुलाई (लॉजिस्टिक्स) के कुशल एवं किफायती साधनों की सीमित उपलब्धता; और मोलतोल करने की कम क्षमता के कारण अपनी कृषि उपज का उचित मूल्य हासिल नहीं कर पाते हैं। एक खास अध्ययन में संकेत मिलता है कि श्रम की अधिकता वाली फ़सल उगाने और मवेशी पालने के मामले में छोटे खेत अधिक कुशल होते हैं मगर उनकी भूमि इतनी कम होती है कि परिवार को पर्याप्त आय नहीं मिल पाती। इसलिए छोटे किसान आम तौर पर गरीब होते हैं और मझोले किसानों की तुलना में केवल 39 प्रतिशत तथा बड़े किसानों की तुलना में 13 प्रतिशत ही कमा पाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (77वां दौर, 2019) के अनुसार भारत में 50.2 प्रतिशत कृषक परिवार कर्ज़ में हैं और एक औसत परिवार पर वार्षिक आय के 60 प्रतिशत के बराबर कर्ज़ चढ़ा है। जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच एक कृषक परिवार की वार्षिक आय 1.23 लाख रुपये थी और औसत कर्ज़ 71,100 रुपये था। सर्वेक्षण में यह भी दिखा कि छोटे किसानों की संख्या बढ़ने के साथ ही कृषि योग्य भूमि का विभाजन भी बढ़ गया। प्रत्येक परिवार के पास ज़मीन का

औसत आकार 2003 में 0.725 हेक्टेयर था, जो 2013 में घटकर 0.592 हेक्टेयर और 2019 में केवल 0.512 हेक्टेयर रह गया है। निकट भविष्य में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को देखते हुए यह चलन नीति-निर्माताओं के लिए चिंता का कारण है।

इसलिए कृषक समुदाय और विशेषकर छोटे सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाना एवं लागू करना एकदम सही है।

आज़ादी के समय भारत के नीति-निर्माताओं ने सभी क्षेत्रों के मज़दूरों और कामगारों के लिए कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की कल्पना की थी। उनकी कल्पना में किसान, खेतिहर मज़दूर और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में काम करने वाले कृषि कामगार शामिल



पीएम किसान सम्मान निधि योजना से कटोड़ों किसानों को जई ऊर्जा

सकृद किसान, समृद्ध राष्ट्र

- 11.3 करोड़ किसानों के बैंक खातों में ₹1.82 लाख कटोड़ हस्तातित
- किसानों को ₹6,000 की वार्षिक सहायता
- महामारी के दौरान ₹1.30 लाख कटोड़ हस्तातित

थे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है, जो समाज (सरकार) वंचित तबकों को स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आय सुरक्षा की गारंटी देने हेतु मुहैया करता है। सामाजिक सुरक्षा के संबंध में आजाद भारत के शुरुआती कानूनों में से एक 1948 का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है। किंतु ईएसआई अधिनियम में नियोक्ता तथा कर्मचारी का संबंध होना आवश्यक था, जो कृषि क्षेत्र में नहीं होता है। जल्द ही भारत सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के लिए कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा की कुछ योजनाएं चलानी आरंभ कर दीं किंतु ग्रामीण जनता के लिए आजीविका/आय गारंटी की महत्वाकांक्षी तथा विशेष योजना 2005 में ही शुरू की गई। संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 (बाद में इसका नाम महात्मा गांधी नरेंगा या मनरेंगा कर दिया गया) पारित किया, जो 'काम के अधिकार' की गारंटी देने वाला सामाजिक सुरक्षा का कानूनी उपाय था। उसी के अनुसार ग्रामीण परिवारों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मांग आधारित मॉडल वाली योजना (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना) आरंभ की गई।

मूल रूप से यह रोज़गार कार्यक्रम है, जो हरेक वित्त वर्ष में ऐसे प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन के सवैतनिक रोज़गार की गारंटी देता है, जिसके बयस्क सदस्य स्वेच्छा से हाथ वाला अकुशल काम करने को तैयार हो जाते हैं। काम नहीं मिलने की सूत में लाभार्थी महात्मा गांधी नरेंगा के प्रावधानों के अनुसार राज्य द्वारा दिए जाने वाले बेरोज़गारी भत्ते का हकदार हो जाता है। इसके अलावा सूखे अथवा प्राकृतिक आपदा की अधिसूचना वाले ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष के दौरान 50 दिनों के अकुशल रोज़गार का भी प्रावधान है। पिछले

कई वर्षों में मनरेंगा मुख्य कार्यक्रम बनकर उभरा है, जो सामाजिक असमानता दूर कर और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति सृजन के ज़रिये सतत विकास का आधार तैयार कर ग्रीबी से सर्वांगीण तरीके से निपटता है। महात्मा गांधी नरेंगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की विभिन्न श्रेणियों ने दिहाड़ी, आय तथा टिकाऊ संपत्तियों के ज़रिये ग्रीबों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित किया है। संसाधनों का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (चेक डैम, तालाब, पारंपरिक जल निकायों के पुनरुद्धार, खेत के बांध, जल संरक्षण, सिंचाई कार्यों आदि) पर खर्च किया जाता है, जिससे फ़सल के रकबे तथा उपज में बढ़ोतरी के माध्यम से किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित होती है। समुदाय और व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए टिकाऊ संपत्तियों (बकरी के बांडे, गाय-भैंस के बांडे, वर्मी-कंपोस्ट के गड्ढे, पानी सोखने वाले गड्ढे आदि) के सृजन से वर्चित तबके को वैकल्पिक सतत आजीविका हासिल करने में मदद मिली है। ठोस कचरा प्रबंधन कार्यों से गांव अधिक साफ हुए हैं, आय बढ़ी है और ग्रीबों को विविधता भरी आजीविका मिली है। 2021-22 में मनरेंगा में 15.54 करोड़ सक्रिय श्रमिक दर्ज किए गए; 352.91 करोड़ व्यक्ति दिवस सुनिश्चित हुए; 51.58 करोड़ डीबीटी लेनदेन हुए; 7.18 करोड़ परिवारों को लाभ मिला; और व्यक्तिगत श्रेणी के 2.27 करोड़ कार्य हुए।

दीन दयाल अन्योदय योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) सामाजिक सुरक्षा की अनूठी योजना है, जिसका लक्ष्य ग्रीब परिवारों को लाभकारी स्व-रोज़गार तथा कौशलयुक्त सवैतनिक रोज़गार के अवसर प्रदान कर ग्रीबी कम करना है। 2011 में आरंभ किया गया मिशन ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में इकट्ठा कर ग्रामीण निर्धनता दूर करने का प्रयास करता है। मिशन का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से 8-10 करोड़ ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में एकजुट करना तथा उन्हें इस प्रकार दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें और अपनी आय तथा जीवन स्तर में सुधार ला सकें। सहायता तब तक जारी रहती है, जब तक समय गुज़रने के साथ उनकी (स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की) आय में अच्छी खासी वृद्धि नहीं हो जाती, उनका जीवन स्तर नहीं सुधर जाता और वे अति दरिद्रता से बाहर नहीं आ जाते। फरवरी 2022 को यह मिशन

28 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के 707 ज़िलों में 6,789 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कुल मिलाकर 8.16 करोड़ महिलाओं को 74.98 लाख स्वयं सहायता समूहों में जुटाया जा चुका है।

उभरते हुए स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड (10,000 से 15,000 रुपये प्रति समूह) तथा समुदाय निवेश सहायता कोष (2.50 लाख रुपये प्रति समूह) उपलब्ध कराकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वयं सहायता समूह इन कोषों का प्रयोग अपनी सूक्ष्म-क्रृष्ण अथवा निवेश योजनाओं के अनुसार अपने सदस्यों को

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)
के अनुसार सामाजिक सुरक्षा वह
सुरक्षा है, जो समाज (सरकार)
वंचित तबकों को स्वास्थ्य सेवा की
उपलब्धता सुनिश्चित करने और आय
सुरक्षा की गारंटी देने हेतु मुहैया
करता है। सामाजिक सुरक्षा के संबंध
में आजाद भारत के शुरुआती कानूनों
में से एक 1948 का कर्मचारी राज्य
बीमा अधिनियम है।

आय सूचित करने वाली सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्ज़ देने में करते हैं। 28 फरवरी 2022 को स्वयं सहायता समूहों तथा उनके महासंघों को कुल 17,342 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता प्रदान की जा चुकी है। राष्ट्रीयकृत बैंक भारत सरकार की एकसमान ऋण सहायता योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करते हैं। डे-एनआरएलएम के एक उपांग (महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना अथवा एमकेएसपी) के अंतर्गत महिला किसानों के लिए सतत तथा विविधता भरी आजीविका के अवसर तैयार करने के लिए व्यवस्थित निवेश कर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। महिला किसानों को सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों एवं विस्तार एजेंसियों द्वारा आजीविका की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों (किंचन गार्डन तैयार करने और पोषण की दृष्टि से बागवानी करने, अधिक पोषण वाली किफायती अथवा न्यूनतम खर्च वाली खुराक तैयार करने, नवीनतम कृषि एवं संबद्ध प्रौद्योगियों, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन, ग्रामीण शिल्प आदि) में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 730 से अधिक राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्तियों द्वारा 58,000 से अधिक कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया गया और किसान विकास केंद्रों द्वारा महिला किसानों के लिए चलाए गए विशेष प्रशिक्षण में 1.23 लाख महिला किसानों ने हिस्सा लिया (कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, 2021)। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अंतर्गत लगभग 38 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और करीब 1.44 करोड़ महिलाएं डे-एनआरएलएम के दायरे में लाई गई हैं (दिसंबर, 2021)। ग्रामीण विकास मंत्रालय बुजुर्ग, विधवाओं तथा दिव्यांग जन को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए व्यापक दायरे वाली सामाजिक सुरक्षा की योजना-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम - चलाता है। कार्यक्रम के दायरे में शहरी तथा ग्रामीण नागरिक आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण शिल्पी, खेतिहार मज़दूर तथा उनके परिवार शामिल हैं। कार्यक्रम लक्षित समूहों के लिए परिभाषित तथा व्यवस्थित पेंशन एवं कल्याण योजनाओं के ज़रिये क्रियान्वित किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकारों से वित्तीय मदद पाने वाले कार्यक्रम ने



योजना, मई 2022

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) सामाजिक सुरक्षा की अनूठी योजना है, जिसका लक्ष्य ग्रीष्म परिवारों को लाभकारी स्व-रोज़गार तथा कौशलयुक्त स्वैतनिक रोज़गार के अवसर प्रदान कर ग्रीष्मीय कम करना है।

अभी तक विभिन्न श्रेणियों में 42,51,7900 लाभार्थियों को वित्तीय राहत प्रदान की है। कई अन्य सरकार प्रायोजित कार्यक्रम आय सूचन, कौशल विकास एवं वित्तीय समावेश की गतिविधियों के माध्यम से किसानों की सामाजिक सुरक्षा में योगदान कर रहे हैं।

पदद का हाथ बढ़ाना

अधिकतर भारतीय किसान विशेषकर छोटे और सीमांत किसान बुआई के सीजन

में आर्थिक संकट से ज़्ज़ुते हैं, जिसके कारण अक्सर वे कर्ज़ के जाल में फ़ंस जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 2019 में किसानों के लिए आय सहायता की एकदम अनूठी योजना आरंभ की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नाम की इस योजना का लक्ष्य खेती में काम आने वाली विभिन्न सामग्री खरीदने के लिए किसानों की वित्तीय मदद करना है ताकि फ़सल का स्वास्थ्य अच्छा रहे और प्रत्येक फ़सल चक्र के अंत में अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित उपज सुनिश्चित हो। इससे वे ऐसे खर्च पूरे करने के लिए साढ़ाकारों पर अनुचित निर्भर होने से बच जाते हैं और सुनिश्चित होता है कि खेती की गतिविधियां बिना रुकावट चलती रहें। योजना के अंतर्गत देश के सभी भूस्वामी किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, लेकिन उच्च आय वर्ग वाले कुछ परिवारों को इससे बाहर रखा जाता है। यह राशि सीधे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा चिह्नित लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में चार-चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की तीन किस्तों में भेज दी जाती है। पति, पत्नी और नाबालिंग संतानों को इस योजना के अंतर्गत एक परिवार माना जाता है। 22 फरवरी 2022 को पूरे भारत में लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपये कोविड-19 महामारी के दौरान जारी किए गए। योजना से विभिन्न श्रेणियों के लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ मिला है।

छोटे एवं सीमांत किसानों के पास बुढ़ापे में आजीविका चलाने के लिए या तो बहुत कम बचत होती है या होती ही नहीं है। इस अहम मसले पर सक्रियता के साथ काम करते हुए भारत सरकार ने 2019 में किसानों के लिए पेंशन की कस्टमाइज्ड यानी सबके अनुरूप अलग-अलग योजना आरंभ की। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई) नाम की इस योजना का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के ज़रिये सामाजिक सुरक्षा चक्र प्रदान करना है। पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। योजना स्वैच्छिक और योगदान वाली है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच शामिल हुआ जा सकता है। 29 वर्ष की उम्र में योजना में शामिल होने वाले लाभार्थी को प्रतिमाह 100 रुपये योगदान करना होता है और पेंशन कोष में उतना ही योगदान केंद्र सरकार भी करती है। 31 जनवरी 2022 को कुल 21,86,918 किसान इस योजना में शामिल हो चुके थे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक अनूठे ढंग की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक

आपदा के कारण फसल नष्ट होने के कारण परेशानी में घिरे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में 36 करोड़ से अधिक किसानों के आवेदनों का बीमा हो चुका है और 4 फरवरी 2022 तक 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान भी किया जा चुका है। इस योजना ने सर्वाधिक संकटग्रस्त किसानों को वित्तीय मदद प्रदान की है क्योंकि योजना में पंजीकरण कराने वाले लगभग 85 प्रशित किसान छोटे एवं सीमांत ही हैं।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अलावा विभिन्न राज्य सरकारें भी किसानों की ज़रूरतें पूरी करने हेतु उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चला रही हैं। महाराष्ट्र सरकार 2015 से ‘गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना’ चला रही है। योजना में दुर्घटना में जान गंवाने वाले तथा दुर्घटना में ही अपंग हो चुके किसानों को शामिल किया जाता है। योजना के अंतर्गत पशु के हमले, नक्सल हमले, हत्या, बिजली के झटके आदि के भी दुर्घटना माना जाता है और उसके शिकार होने वाले को यथोचित मुआवजा दिया जाता है। गुजरात सरकार भी लगभग ऐसी ही ‘किसान दुर्घटना बीमा योजना’ 1996 से चला रही है। योजना में पंजीकृत किसानों को दुर्घटना में

मृत्यु होने अथवा स्थायी अपंगता होने पर बीमा का लाभ दिया जाता है। बीमा का समूचा प्रीमियम राज्य सरकार भरती है; किसान को कृषि कामगारों के लिए चलाई जा रही अनूठी सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत खुद को पंजीकृत भर कराना होता है। यह दोहरे उद्देश्य वाली योजना है, जो एक ओर पेंशन प्रदान करती है और दूसरी ओर दुर्घटनावश मृत्यु अथवा अपंगता होने पर बीमा के लाभ भी सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य किसानों के लिए ऐसी ही दुर्घटना बीमा योजनाएं चला रहे हैं। ■

विशेष योजनाओं के अलावा किसानों एवं कृषि मजदूरों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बताई गई सभी आकस्मिक आवश्यकताएं शामिल हों। इनमें मृत्यु, अपंगता, बीमारी, स्वास्थ्य, चोट, बेरोज़गारी और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल हैं। ऐसे कार्यक्रम जमीनी स्तर पर प्रभावी और व्यापक बुनियादी ढांचे के साथ लागू करने होते हैं ताकि अंतिम व्यक्ति तक इनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। ऐसी योजनाओं के विवरण तथा लाभ विभिन्न माध्यमों के जरिये प्रचारित किए जाने चाहिए ताकि किसानों के सामाजिक कल्याण पर उनका अधिक से अधिक प्रभाव हो सके। ■

क्या आप जानते हैं?

नीली क्रांति

मत्स्यपालन भारत में भोजन, पोषण, रोज़गार और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्षेत्र लगभग 1.60 करोड़ मछुआरों तथा मत्स्यपालक किसानों को प्राथमिक स्तर पर आजीविका प्रदान करता है और मूल्य शृंखला में इससे लगभग दोगुने लोगों को रोज़गार मिलता है। समुद्री मत्स्यपालन क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े कारीगरों एवं लघु स्तरीय मछुआरों की बहुलता है, जिनका जीवन एवं आजीविका महासागरों एवं समुद्रों पर निर्भर है। मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की दृष्टि से मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग ने पांच वर्ष के लिए (2015-16 से 2019-20 तक) ‘राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना’ चलाई। यह व्यापक एवं केंद्र प्रायोजित योजना ‘नीली क्रांति: मछुआरों का एकीकृत विकास एवं प्रबंधन’ का ही हिस्सा थी, जो 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई। इस समय मत्स्यपालन विभाग ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई)’ चला रहा है, जिसमें पांच वर्ष (2020-21 से 2024-25) के लिए 20,050 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक निवेश किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य मत्स्यपालन क्षेत्र का टिकाऊ तथा जवाबदेही भरा विकास करना है मगर साथ में मछुआरों तथा मत्स्यपालन किसानों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के कुछ प्रमुख प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं।

जब मछुआरों का समुद्र में प्रवेश प्रतिबंधित होता है अथवा जिस अवधि में मछलियां बहुत कम मिलती हैं, उस दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से कमज़ोर सक्रिय एवं पारंपरिक मछुआरा परिवारों को आजीविका और पोषण सहायता प्रदान की जाती



है। इस प्रावधान के अंतर्गत मछली मारने पर प्रतिबंध या कम मछलियों वाली तीन महीने की इस अवधि के लिए प्रत्येक मछुआरे को 4,500 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से 3,000 रुपये प्रति मछुआरा सरकार देती है और 1,500 रुपये का योगदान लाभार्थी करता है।

बीमा वाले हिस्से के तहत दिया जाने वाला मुआवजा इस प्रकार है-

1. दुर्घटना से मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर 5 लाख रुपये
2. स्थायी आंशिक अपंगता होने पर 2,50,000 लाख रुपये; और
3. दुर्घटना होने पर अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 25,000 रुपये तक का खर्च बीमा के ज़रिये।

2017-18 से 2021-22 (फरवरी, 2022) तक इस योजना के क्रियान्वयन पर केंद्र के हिस्से के रूप में 369.55 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। ■

सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका

इशिता सिरसीकर

प्रौद्योगिकी वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान की अपनी क्षमता तेजी से प्रदर्शित कर रही है। डाटा एनालिटिक्स, कृत्रिम मेधा, मशीन ज्ञानार्जन और भारत के बढ़ते डिजिटल आच्छादन के परिणामस्वरूप आम नागरिकों के लिये उत्पादों और सेवाओं की बाढ़ आ गयी है। भारतीय नीति निर्माताओं के लिये यह महत्वपूर्ण है कि वे सबसे निचले स्तर पर प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने की प्रक्रिया को सुगम और तेज बनायें।

भा

रत में डिजिटलीकरण का विकास मजबूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी-इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) पर आधारित है। इसका सबसे बड़ा मकसद प्रौद्योगिकी को समावेशी, किफायती, परिवर्तनकारी और सबके लिये सुलभ बनाना है। डिजिटल ईडिया, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण-डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) और शासकीय ई-बाजार-गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) जैसी सरकारी पहलकदमियों का उद्देश्य भारत को सक्रियता से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल तौर पर सशक्त समाज में तब्दील करना है। कम समृद्धि वाले राज्य ज्यादा समृद्ध राज्यों से बराबरी के लिये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही भारत का डिजिटल विभाजन भी तेजी से घट रहा है। इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में सबसे तेज वृद्धि वाले 10 राज्यों में से सात का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद-ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) 2014 और 2018 के बीच संपूर्ण भारत के औसत से कम रहा है। इस काल में अकेले उत्तर प्रदेश में इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या में 3.6 करोड़ का इजाफा हुआ है। यह भारत की कुल वृद्धिशील इंटरनेट ग्राहक संख्या का 12 प्रतिशत है। इसी तरह सर्वाधिक ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक सेवा केंद्र-कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) वाले चौटी के 10 में से आठ राज्यों में प्रति व्यक्ति जीडीपी संपूर्ण भारत के औसत से कम है।

वित्तीय समावेशन मौजूदा भारत में सामाजिक सुरक्षा तंत्र के केंद्र में है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीबाई) के परिणामस्वरूप इसमें ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। वित्तीय समावेशन के साथ ही वित्त प्रौद्योगिकी-फाइनार्नाशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक) का विस्तार हो रहा है। फिनटेक ने भुगतान और लेन-देन के विभिन्न प्रकार के नये विकल्प मुहैया कराये हैं। मसलन, भीम और यूपीआई से भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार आया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम-नेशनल पेंमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ईडिया (एनपीसीआई) के अनुसार मार्च 2022 तक यूपीआई के जरिये 88.8 खरब रुपये के

5.04 अरब लेन-देन हुए।¹ यह संख्या और मूल्य दोनों के लिहाज से असाधारण है। अब इन चैनलों का इस्तेमाल औपचारिक ऋण को ज्यादा सुलभ बनाने के लिये भी किया जा रहा है ताकि कर्ज लेना अधिक आसान और किफायती हो। पिछले दशक में किये गये बदलावों से गांवों में वित्तीय समावेशन का स्तर बढ़ाने में काफी मदद मिली है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति मजबूत करना इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है। समुचित अवसरंचना का अभाव और उच्च संचालन खर्च आखिरी छोर तक पहुंचने की सरकार की कोशिशों

भारतीय रेल पेंशनभोगियों के लिये इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश अब डिजिलॉकर के जरिये जारी कर रही है।

सार्वजनिक सेवा केंद्र पीएमजीदिशा के जरिये नागरिकों का सशक्तीकरण

डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम
के लिये 5.4 करोड़
पंजीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण

4.61 करोड़ नागरिकों को
डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान
करने की उपलब्धि हासिल



में बाधक रहा है जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार पीछे छूट गये हैं। लेकिन पिछले दशक में प्रौद्योगिकी, वस्तुओं और चैनलों तथा नियामक ढांचों में उन्नति से खास तौर से ग्रामीण आबादी में वित्तीय सेवाएं लाखों व्यक्तियों को सहजता से उपलब्ध हो गयी हैं।

देश में वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी में काफी प्रगति हुई है। केंद्रीय मन्त्रिमंडल ने 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी-दिशा) को मंजूरी दी। इस अभियान का उद्देश्य छह करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच कर गांवों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। यह विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। इसके तहत अब तक लगभग 5.78 करोड़ व्यक्तियों का दाखिला कर 4.90 करोड़ को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तकरीबन 3.62 करोड़ उम्मीदवार इस प्रणाली के तहत प्रमाणन प्राप्त कर चुके हैं।¹ फिनटेक यूनीकॉर्न, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी (भारतनेट), स्मार्ट ग्राम और सीएससी जैसे प्रयास एक अरब से ज्यादा व्यक्तियों वाले बाजार में ग्राहक अभिग्रहण का खर्च न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। इन परियोजनाओं ने दूरदराज के समुदायों को अभूतपूर्व अवसर मुहैया कराये हैं। मोबाइल नेटवर्क प्रदाता स्मार्टफोन की कीमतों में तेजी से गिरावट के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंचाने में सक्षम हुए हैं। इससे ग्रामीणों को डाटा कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क तक तुरंत पहुंच प्राप्त हुई है।

जन धन बैंक खातों और मोबाइल फोन का मेल तथा आधार के जरिये डिजिटल पहचान की स्थापना बहुत ही उपयोगी रही है। इन कदमों से अब गरीबों के लिये लाभों को सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त करना संभव हो गया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली-पब्लिक फाइनांशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से डीबीटी का उपयोग कर 36659 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लाखों लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

**पिछले दशक में किये गये बदलावों
से गांवों में वित्तीय समावेशन का स्तर
बढ़ाने में काफी मदद मिली है। बढ़ती
हुई मांग को पूरा करने के लिये वित्तीय
सेवाओं की आपूर्ति मजबूत करना इस
क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है।**

कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत घोषित नकद लाभों को ज्यादातर निर्धनतम परिवारों को डीबीटी के जरिये ही सौंपा गया है।

जन धन खातों, आधार पहचान प्रणाली और मोबाइल प्रौद्योगिकी के मेल से 'जैम तिकड़ी' बनती है। इस तिकड़ी को ग्राहकों के व्यवहारों और प्राथमिकताओं के बारे में व्यापक डाटा से जोड़ दिया जाये तो पूरी तरह से नये व्यवसाय मॉडल तैयार हो सकते हैं। ये मॉडल ग्राहक अभिग्रहण, ग्राहक सेवा, पूरक बिक्री और उन्नत विक्रय के लिये बेहद कुशल, मापनीय और सुविचारित प्रक्रियाएं प्रदान करते हैं।

देश में हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और वित्त-प्रौद्योगिकी नवोन्मेषणों की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। सरकार इन उद्योगों को समर्थन देकर यह सुनिश्चित करना चाहती है कि डिजिटल बैंकिंग के लाभ उपभोक्ताओं के लिये अनुकूल ढंग से देश के हर कोने तक पहुंच सकें। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के मकसद से भारत की आजादी की 75वीं वर्षांगत पर देश भर के 75 जिलों में इनी ही डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में पारदर्शिता और जबाबदेही में वृद्धि की बढ़ावत देश में डिजिटल भुगतानों में काफी इजाफा हुआ है। मार्च 2020 में 29 तारीख तक यूपीआई के जरिये 5.04 अरब लेन-देन किये गये। यह फरवरी माह की तुलना में संख्या में 11.5 प्रतिशत और रकम में 7.5 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल आधार समर्थित भुगतान प्रणाली के उपयोग से 20 खरब से ज्यादा लेन-देन किये गये।³

प्रौद्योगिकी ने जीवन को आसान बनाया है। स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में भी प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सामने चिकित्सकों की तंगी, दवाओं की अनुपलब्धता, खरीद सामर्थ्य में कमी तथा सर्वत्र प्रसार का अभाव जैसी चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सभी भारतीयों के लिये डिजिटल स्वास्थ्य संग्रह तैयार करना है। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान दूर-चिकित्सा का अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिला। सितंबर 2021 के अंत तक भारत सरकार के ई-संजीवनी पोर्टल के तहत लगभग 125 करोड़ दूर-परामर्श पूरे किये गये। देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले हजारों नागरिक इस सुविधा के जरिये रोजाना अपने घरों से ही शहरों के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से परामर्श हासिल करते हैं। वैश्विक महामारी ने हर उम्र के व्यक्तियों को प्रभावित किया है। इसने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों की गंभीरता को बढ़ा दिया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय दूरस्थ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विकसित किया गया है। यह कार्यक्रम उच्च गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और उपचार

सेवाएं मुहैया करायेगा। इसके अंतर्गत 23 विश्व स्तरीय दूरस्थ मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क होगा। इस नेटवर्क का मुख्य केंद्र राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस (निमहांस) होगा और इसके लिये तकनीकी समर्थन अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलूर उपलब्ध

करायेगा।

प्रौद्योगिकी में भारतीय स्वास्थ्य सेवा तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। इसलिये कोविड-19 के बाद के तेज बदलावों के दौर में प्रौद्योगिकी को स्वास्थ्य सेवा में सबसे आगे रहना चाहिये। प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य सेवा में कुशलता सुनिश्चित की जा सकती है जिससे खर्चों में कमी आयेगी। विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तुलना संभव होने से स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इससे साक्ष्य आधारित उपचार को बढ़ावा मिलेगा तथा दवाओं की जानकारी और निजी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच से रोगियों का सशक्तीकरण होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा का उसके पारंपरिक दायरों के बाहर विस्तार भी किया जा सकेगा।

सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी ने सरकार के साथ नागरिकों के संपर्क के तौर-तरीके को सरल बनाया है। इससे नागरिकों को विभिन्न सेवाओं को प्रभावी ढंग से हासिल करने और अपने जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर तक व्यापक पहुंच वाले सीएससी विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल सेवा डिलीवरी नेटवर्क है। ब्रॉडबैंड से जुड़े ये केंद्र आईसीटी के माध्यम से विभिन्न सरकारी, निजी और सामाजिक सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। वर्ष 2020 में एक जनवरी और 31 अक्टूबर के बीच 6467 अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण सीएससी जोड़े गये हैं¹⁴। सीएससी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तीकरण के केंद्र बन गये हैं। वे सबसे निचले स्तर पर डिजिटल साक्षरता फैलाने में सक्रिय भूमिका

जन धन बैंक खातों और मोबाइल फोन का मेल तथा आधार के जरिये डिजिटल पहचान की स्थापना बहुत ही उपयोगी रही है। इन कदमों से अब गरीबों के लिये लाभों को सीधे अपने बैंक खातों में प्राप्त करना संभव हो गया है। देश में हाल के वर्षों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और वित्त-प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के मकसद से भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर के 75 जिलों में इतनी ही डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

निभा रहे हैं।

पेंशनभोगियों के लिये जीवन प्रमाणन एक बायोमेट्रिक समर्थित डिजिटल सेवा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या किसी अन्य सरकारी संस्था से पेंशन प्राप्त करने वाले अपने घर पर या डाकघर जाकर इस डिजिटल जीवन प्रमाणन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं¹⁵। वर्ष 2014 से अब तक 2.48 करोड़ से ज्यादा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराये जा चुके हैं।

उमंग (यूनिफाइड मोबाइल ऐप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस) केंद्र और राज्य सरकारों की उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह अनेक चैनलों, भाषाओं और सेवाओं वाला ऑल-इन-वन एकल और संयुक्त मोबाइल ऐप है। फिलहाल इस ऐप के जरिये 2039 सेवाएं मुहैया करायी जा रही हैं जिनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तीन वर्षों में उमंग को 3.75 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।

इसके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 2.5 करोड़ है¹⁶। उमंग को मैपमार्ईडिया के मानचित्रों से जोड़े जाने के परिणामस्वरूप नागरिक इसके जरिये मंडियों और रक्त कोषों जैसे अपने नजदीकी सरकारी संस्थानों का पता सिर्फ एक बटन को छूकर लगा सकते हैं। इस तरह के प्रयासों से सरकार प्रौद्योगिकी तक नागरिकों की पहुंच बढ़ा कर अपनी नागरिक सेवाओं का विस्तार कर रही है।

उमंग के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं में मेरा राशन, ई-नाम और दामिनी आकाशीय बिजली चेतावनी सेवा शामिल है। नागरिक मेरा राशन के जरिये नजदीकी सरकारी सर्वसेवक गल्ले की दुकानों का पता लगा कर उन तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह ई-नाम की ‘मेरे नजदीकी की मंडी’ सेवा नजदीकी मंडियों का पता तथा उन तक पहुंचने का रास्ता बताती है। दामिनी के माध्यम से पता चलता है कि हाल के कुछ मिनटों में कहां बिजली गिरी है। यह सेवा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका के बारे में मानचित्र के जरिये चेतावनी भी देती है।


इसके अलावा डिजिलॉकर नागरिकों को अपने जीवन भर के सभी दस्तावेजों को एक ही डिजिटल वॉलेट में रखने की सुविधा मुहैया कराता है। सरकार की ओर से जारी ये सभी नागरिक केंद्रित दस्तावेज भारतीय कानूनों के अंतर्गत वैध हैं। डिजिलॉकर ज्यादातर राज्यों के लिये राशन कार्डों और विवाह प्रमाणपत्रों की डिजिटल प्रतियां पहले से ही जारी कर रहा है। इसके अलावा पासपोर्ट जारी करने के लिये उसकी पासपोर्ट सेवा के साथ बातचीत चल रही है जिससे नागरिक सेवाओं के डिजिटल आच्छादन में वृद्धि होगी।

खास तौर से भारतीय संदर्भ में कृषि के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी की काफी प्रासंगिकता है। किसान ड्रोन की तैनाती और प्रौद्योगिकी आधारित कृषि पर जोर देश के कृषकों के लिये फायदेमंद है। प्रौद्योगिकी आधारित कृषि के तहत नियमित जांच की प्रक्रियाओं से उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। कृषि भारत की आजादी के लगभग 58

उमंग पर नयी सेवा ‘मेरा राशन’

नागरिक

- नजदीकी उचित मूल्य की दुकान खोज सकते हैं
- राशन कार्ड देख सकते हैं
- पिछले छह महीनों की खरीद का विवरण देख सकते हैं
- किसी भी वंचाधित महीने के लिये जिस के बकाये की जाँच कर सकते हैं



प्रतिशत हिस्से की आमदनी का मुख्य स्रोत है। इसलिये कृषि सुधार देश के विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने कृषि उत्पाद मूल्य शृंखला की पूँजी निवेश के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की है। इसे सह-निवेश के दृष्टिकोण के तहत एकत्र एक मिश्रित पूँजी कोष से पूरा किया जायेगा जिसका संचालन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) करेगा। इस कोष से वैसे कृषि संबंधित और ग्रामीण व्यवसायों को जरूरी वित्तीय पूँजी उपलब्ध करायी जायेगी जो अभी शुरू हो रहे हैं। उर्वरकों के छिड़काव और फसल की निगरानी के लिये अत्याधुनिक ड्रोन के उपयोग से किसानों को कम मेहनत में उच्च गुणवत्ता वाली पैदावार लेने में सहायता मिलेगी।

2022 के संघीय बजट में कौशल विकास जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को ज्यादा-से-ज्यादा अपनाये जाने पर जोर दिया गया है। कौशल विकास और आजीविका से संबंधित डिजिटल तंत्र के लिये देश स्टैक के नाम से ई-पोर्टल शुरू किया गया है। इससे कौशल के विकास, उन्नयन और पुनर्विकास में मदद मिलेगी। यह पोर्टल नागरिकों के डिजिटल सशक्तीकरण में बड़ी भूमिका निभायेगा। इसके अतिरिक्त यह पोर्टल काम की तलाश करने वालों को रोज़गार और उद्यमिता के उपयुक्त अवसर तलाशने में भी मदद करेगा।

हम आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। देश की स्वतंत्रता की शताब्दी सिर्फ 25 वर्ष दूर है। प्रौद्योगिकी देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है और भविष्य में निभाती रहेगी। भारत की 1.3 अरब आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने और क्षमताओं के इस्तेमाल के लिये प्रौद्योगिकी

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर तक व्यापक पहुँच वाले सीएससी विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल सेवा डिलीवरी नेटवर्क है। ब्रॉडबैंड से जुड़े ये केंद्र आईसीटी के माध्यम से विभिन्न सरकारी, निजी और सामाजिक सेवाएं मुहैया करा रहे हैं।

महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय दूरस्थ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, भीम-यूपीआई, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, डिजिलॉकर, उमंग और देश स्टैक ई-पोर्टल जैसी पहलकदमियों के जरिये भारत ज्ञान केंद्रित और डिजिटल तौर पर सशक्त समाज बनने की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2025 तक भारत का डिजिटल रूपांतरण आर्थिक मूल्य में पांच गुना वृद्धि मुहैया करा सकता है। इसके परिणामस्वरूप डिजिटल

सेवाओं, प्लेटफॉर्मों, ऐप, सामग्री और समाधानों के लिये बाजार का तेजी से उदय होगा। इससे कृत्रिम मेथा, ब्लॉकचेन, ड्रोन और रोबोटिक्स जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों में निवेश करने वाले वैश्विक और स्थानीय संस्थानों, स्टार्टअप संस्थाओं और प्लेटफॉर्म आधारित नवोन्नेषकर्ताओं के लिये आकर्षक संभावनाओं के द्वारा खुलेंगे। ■

संदर्भ

1. https://www.business-standard.com/article/finance/upi-processes-5-bn-transactions-in-march-gets-set-for-new-record-122033100529_1.html.
2. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1812277>
3. <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1759602>
4. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1786560>
5. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1769142>
6. <https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1675131>
7. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1811368>

अन्य संदर्भ

- https://meity.gov.in/writereaddata/files/india_trillion-dollar_digital_opportunity.pdf
- <https://www.niti.gov.in/index.php/embracing-technology>
- https://www.pmindia.gov.in/en/government_tr_rec/leveraging-the-power-of-jam-jan-dhan-aadhar-and-mobile/
- Grameen Foundation India.

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में सूचना

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलीवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को उनकी सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरों के जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित हैं-

सदस्यता प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	₹. 434	₹. 364
2 वर्ष	₹. 838	₹. 708
3 वर्ष	₹. 1222	₹. 1032

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।

सुलभता अंतर को पाटना

रंजन एस दास
प्रमीत दास

नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रम, अटल नवाचार मिशन (एआईएम) का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां बनाकर देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना और विभिन्न हितधारकों के लिए मंच तथा सहयोग के अवसर प्रदान करना है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तरीय नवाचार केंद्रों, बड़ी चुनौतियों, स्टार्टअप व्यवसायों और अन्य स्वरोज़गार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है।

आ


थिक आंकड़ों से परे, विकास में इन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए (क) संधारणीयता- भविष्य में पर्यावरणीय या आर्थिक समस्याएं पैदा किए बिना संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और (बी) समावेशन- खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, रहने की स्थिति, सांप्रदायिक सद्भाव, शैक्षिक और रोज़गार के अवसरों पर फोकस के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसरों के नीतिगत उपाय।

अटल इनोवेशन मिशन की पहल, अर्थात्, अटल कम्प्युनिटी इनोवेशन सेंटर (एसीआईसी) का उद्देश्य समाज की सेवा में समाधान-संचालित सोच के माध्यम से नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत हाल में छह-चरण की चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित संस्थानों के पहले समूह की घोषणा की गई है। एसीआईसी, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 1 स्तरीय शहरों, उत्तर-पूर्व, जम्मू-कश्मीर, आकांक्षी जिलों, स्मार्ट सिटीज, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के कम सेवा वाले /सेवा रहित क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ देश भर में फैले क्षेत्रों में सहायक बुनियादी ढांचे और अवसरों की पेशकश करके नागरिकों को अत्याधुनिक नवाचार बनाने में सक्षम बनाता है। इससे सामाजिक नवाचारों के विकास को बढ़ावा मिलेगा और विशेष रूप से प्रयोगशाला से जमीन की दूरी को कम करके और विचारों/समाधानों के पूर्व-ऊपर्युक्त के लिए प्रौद्योगिकी संचालित सहायता प्रदान करेगा।

एसीआईसी, यूएनडीपी की प्राथमिकताओं में सहायता के लिए अनुबद्ध रूप से काम

करता है जिनके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सतत विकास प्राप्त करने में सरकार की सहायता की जाती है। यूएनडीपी, समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देने वाली अभिनव भागीदारी के माध्यम से कमज़ोर और हाशिए की आबादी के लिए एआईएम / एसीआईसी जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों तक अधिक पहुंच में सहायता कर रहा है, ताकि आजीविका में सुधार हो और महिलाओं के कौशल-निर्माण में वृद्धि हो सके। यूएनडीपी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सतत तरीके से गरीबी और उपेक्षा को कम करने के लिए क्षमताओं और अवसरों को मजबूत करने पर केंद्रित है।

यूएनडीपी और अटल नवाचार मिशन ने 2019 में युवा नेतृत्व, नवाचार और सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। एआईएम और यूएनडीपी युवाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों,



डिज़ाइन का विकास, समाज का सशक्तीकरण

- समाज के साथ समानुभूति
- नवाचार मानसिकता
- समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना
- अनुकूलनशीलता के माध्यम से संधारणीयता



समाज की सेवा करना, बाजार के लिए मन

- समाज के साथ समानुभूति
- नवाचार मानसिकता
- समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना
- अनुकूलनशीलता के माध्यम से संधारणीयता

काम के भविष्य और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सहयोग करते हैं। इस भागीदारी के आधार पर, एसीआईसी और यूएनडीपी ने देश में एक पूर्व-ऊष्मायन परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के हिस्से के रूप में महत्वाकांक्षी और प्रेरक सामुदायिक नवप्रवर्तकों के निर्माण और सहायता के लिए एक फेलोशिप ढांचा तैयार करने की परिकल्पना की है। इस फेलोशिप के दौरान, प्रत्येक फैलो सतत विकास लक्ष्यों के बारे में उद्यमशीलता कौशल, जीवन कौशल और जागरूकता हासिल करेगा।

एसीआईसी के कुछ प्राथमिक उद्देश्य हैं:

सामाजिक नवाचार

सामाजिक नवाचार नए सामाजिक कार्य हैं जिनमें समाज को विस्तारित और मजबूत करने के उद्देश्य से नवाचार की सामाजिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस संबंध में, सामाजिक नवाचार सरकार और समाज के बीच बातचीत में एक प्रणालीगत परिवर्तन को संदर्भित करता है, जिसमें सरकार को समाज की संरचनाओं या काम करने के तरीकों में स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने में एकसमान भागीदार माना जाता है और इसे अधिकांश सामाजिक हितधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एसीआईसी, निम्न के द्वारा सामाजिक नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है:

- समस्या समाधान, योजना बनाने और प्रोटोटाइप बनाने में डिजाइन के सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए, इस पर डिजाइन सोच में समुदायों को संरचित मॉड्यूल की पेशकश करना।
- लोगों के लिए उनकी उम्र चाहे जो भी हो, उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एक टिंकरिंग स्पेस के रूप में कार्य करना और विचार चरण से प्रोटोटाइप चरण तक डोमेन विशेषज्ञों की राय प्राप्त करना।
- प्रत्येक व्यक्ति को समग्र रूप से समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए विचार करने, प्रभावी तरीके अपनाने और राष्ट्र को बदलने में योगदान करने में सक्षम बनाना।
- सतत विकास लक्ष्यों के बारे में

करके एक-दूसरे के देशी ज्ञान को पूरक बना सकें।

- कुशल उत्पादन और बुनियादी ढांचे के निर्माण के अंतिम लक्ष्य के साथ स्थानीय और राष्ट्रीय मित्रों / आकाऊं द्वारा समर्थित भंडार के माध्यम से पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान का निर्माण।

अधिकारिता

- स्वाभाविक रूप से अभिनव भारतीय मानसिकता के लिए एकसमान अवसर प्रदान करने और विभिन्न हितधारकों - (क) विचारकों- लोगों, समुदायों, शोधकर्ताओं, नागरिक निकायों, एमएसएमई, उद्यमियों आदि, और (ख) समर्थक- सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, तकनीकी कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों आदि के बीच एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करके उस पर निर्माण करने के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम करना।
- प्रासारिक व्यावसायिक पेशकश, प्रौद्योगिकी सहायता तक पहुंच, परामर्श, प्रासारिक हितधारकों के नेटवर्क, वैज्ञानिक तथा सूचना भंडार, और आमतौर पर अनुकूल और सहायक वातावरण प्रदान करके स्टार्टअप के माध्यम से वाणिज्यिक विचारों का पोषण करना।
- समुदाय की जरूरतों के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करना- नए उद्यम निर्माण और सामुदायिक विकास के लिए उपयुक्त तकनीकी विचारों की पहचान, निर्माण, त्वरण और परिवर्तन के लिए सक्रिय कार्यक्रम को बढ़ावा देना और चलाना।
- प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, व्यापार तथा उद्यमता और सरकार तथा नीति के इंटरफेस के चुनिंदा क्षेत्रों में संसाधनों, नेटवर्क, दक्षताओं और विशेष विशेषज्ञता के निर्माण में सक्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

**सामाजिक नवाचार सरकार और
समाज के बीच बातचीत में एक
प्रणालीगत परिवर्तन को संदर्भित करता
है, जिसमें सरकार को समाज की
संरचनाओं या काम करने के तरीकों
में स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने में
एकसमान भागीदार माना जाता है और
इसे अधिकांश सामाजिक हितधारकों
द्वारा अनुमोदित किया जाता है।**

जागरूकता फैलाकर और नवोन्मेष के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर इन लक्ष्यों पर काम करने में नवप्रवर्तकों की सहायता करके इच्छुक सामुदायिक नवप्रवर्तकों को आवश्यक कौशल और टूल्किट प्रदान करना।

- ऐसा माहौल बनाना जहां विभिन्न समुदाय एक-दूसरे से सीख सकें और इन समुदायों के बीच बातचीत के परिणामस्वरूप आदान-प्रदान की बाधाओं को दूर करके और सुधार को प्रोत्साहित

तथा नीति के इंटरफेस के चुनिंदा क्षेत्रों में संसाधनों, नेटवर्क, दक्षताओं और विशेष विशेषज्ञता के निर्माण में सक्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

- समाधान-संचालित डिजाइन सोच के माध्यम से समुदायों में समस्या-समाधान के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।

सहयोग

- अल इनक्यूबेशन केंद्रों और स्थापित इनक्यूबेटर केंद्रों के लिए जमीनी स्तर पर प्री-इनक्यूबेशन मॉडल और फीडर

ईकोसिस्टम का निर्माण करना।

- इन्क्यूबेटरों (एआईसी/ईआईसी) के 67 से अधिक नेटवर्क के साथ सहयोग करना, जो वृद्धि योग्य और टिकाऊ बनने के अपने प्रयासों में नवोन्मेषी स्टार्टअप का पोषण करते हैं।
- मेंटर इंडिया के 10,000 से अधिक के मेंटरिंग नेटवर्क का लाभ उठाना। मेंटर इंडिया एआईएम के कार्यक्रमों के तहत समूचे भारत में विद्यार्थियों और स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करने वालों को शामिल

करने के लिए एक कार्यनीतिक राष्ट्र निर्माण पहल है।

- आर्थिक विकास और इंटर क्लस्टर क्षमता में सुधार के लिए डिजाइन किए गए कार्यकलापों को शुरू करने के बास्ते क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर नवाचार को सक्षम करना।
- आईटीआई और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को भारत के एमएसएमई क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए अपने अभिनव प्रोटोटाइप प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना, जो आईटीआई/पॉलिटेक्निक के तकनीशियनों के समूह द्वारा संचालित है, जिन्हें अपने कॉलेज और प्रशिक्षण वर्षों के दौरान शायद ही कभी नवाचार के अवसर मिलते हैं। ये विद्यार्थी और डिप्लोमा-धारक बहुत ही नवीन और प्राकृतिक कारीगर हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाया है।

समग्रता

- हर किसी को उनकी उम्र, लिंग और सामाजिक पदानुक्रम के बावजूद, प्रभावशाली समाधानों को नया करने, विचार करने और डिजाइन करने का अवसर प्रदान करना।
- उद्यमिता के लिए सहायता करने और बदले में स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए स्थानीय समर्थन प्रणाली बनाना।
- देश के आकांक्षी जिलों और कम सेवा वाले स्थानों के उन लोगों को वित्त सुलभ करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, जिनके पास न तो जानकारी है और न ही वित्त तक उनकी आसानी से पहुंच है।
- उन्नत टिंकिंग के माध्यम से समाधान सक्षम करके नवाचार के लिए समुदाय-अनुकूलित दृष्टिकोण प्रदान करना।
- एसीआईसी उन्नत टिंकिंग स्पेस प्रदान करना जिसमें विभिन्न स्व-शिक्षण मॉड्यूल हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सरल, लचीले और आसान हैं। वे प्रासांगिकता के विभिन्न क्षेत्रों में अनावरण की एक शुंखला प्रदान करेंगे और लोग अपनी खुद की समय सारणी तैयार करने और सीखने के लिए क्यूरेटेड सामग्री चुनने में सक्षम होंगे।

संधारणीयता

- समुदायों को उनके विचार और परिनियोजन यात्रा में जोखिम प्रबंधन पर शिक्षित करने के साथ-साथ उन्हें उनके दैनिक जीवन के सभी पहलओं में वित्तीय प्रबंधन के अनुप्रयोगों को सिखाना।

अधिक सोचो,
अधिक बदलो

- समाज के साथ समानुभूति
- नवाचार मानसिकता
- समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना
- अनुकूलनशीलता के माध्यम से संधारणीयता

- प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में समुदायों का क्षमता निर्माण और उनके समाधान को विचार से प्रोटोटाइप और लाभदायक उद्यमों तक ले जाना।
- पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों के साथ कार्यनीतिक रूप से स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक तालमेल बनाना।
- अपने उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं में नवीन समाधानों की पेशकश की सुविधा के लिए स्थानीय उद्योगों को शामिल करने के बास्ते एक ढांचा प्रदान करना।
- वित्तीय स्थिरता और केंद्रीय एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी से एसीआईसी अम्ब्रेला के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिए संसाधन जुटाना।
- पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक वित्तीय संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से निजी उद्यमियों के साथ साझेदारी करके सीएसआर निधि का नियोजन करना। यह उच्च लाभ कमाने वाली कंपनियों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव वाली पहलों पर अपने मुनाफे का एक हिस्सा साझा करके समाज की सेवा करने में सक्षम बनाता है।
- सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय औद्योगिक भागीदारों के साथ विकेंद्रीकृत सुविधा का लक्ष्य।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के सभी संकेतकों में रणनीतिक रूप से सुधार करके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग को और बढ़ाने के लिए भारत को स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी छलांग प्रदान करना।

आधुनिक तकनीकों के साथ स्व-रोज़गार और न्यायसंगत अवसर के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके, एसीआईसी ने भारत को 21 वीं सदी में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी के रूप में विकसित होने का दृष्टिकोण अपनाया है। वैश्विक स्तर पर भारत को जो अलग करता है, वह स्वदेशी प्रणालियों का विविध ज्ञान आधार है जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भों में ढालकर, अनुकूलन क्षमता के माध्यम से स्थिरता सुनिश्चित करके फ्यूजन सिस्टम विकसित करने में सहायता कर सकता है। ■

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

from various programs of VISION IAS



SHUBHAM KUMAR

■ GS CLASSROOM FOUNDATION COURSE 2018
■ GS TEST SERIES 2019
■ ESSAY TEST SERIES 2019 & 2020
■ ABHYAAS TEST SERIES 2019, 2020



JAGRATI AWASTHI



ANKITA JAIN



YASH JALUKA



MAMTA YADAV



Heartiest Congratulations

to all candidates selected in CSE 2020

लाइव / ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं

कोई क्लास न छूटे
रिकार्डिंग क्लास्सेस, मिनी टेस्ट,
डेली असाइनमेंट और अध्ययन
सामग्री के साथ पूर्णतः
रिवीजन करें



PT 365

संपूर्ण वर्ष के करेंट अफेयर्स को
सिर्फ 60 घंटों में कवर करती
कक्षाओं से ऑनलाइन जुड़ें

प्रारंभ: 29 मार्च | 5 PM



व्यक्तिगत परीक्षण कार्यक्रम

सिविल सेवा परीक्षा

- ★ Vision IAS के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ DAF विश्लेषण सेशन
- ★ पूर्ण-प्रशासनिक अधिकारियों/शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन



अभ्यास 2022

ऑल इंडिया प्रीलिम्स
(GS+CSAT) टेस्ट सीरीज

17 अप्रैल | 1, 15 मई



पंजीकरण करें: www.visionias.in/abhyaaas



फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2023

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

UPSC के सामान्य अध्ययन
पाठ्यक्रम का व्यापक कवरेज



दिल्ली: 5 अप्रैल 9 AM | 1 फरवरी 1 PM

जयपुर: 10 मई | 15 फरवरी

लखनऊ: 12 अप्रैल 9 AM

अभ्यास ही सफलता की चाबी है



VisionIAS प्रारंभिक/मुख्य टेस्ट

सीरीज हर 3 में से 2 सफल
उम्मीदवारों द्वारा चुना गया

○ सामान्य अध्ययन ○ निवंध ○ दर्शनशास्त्र



सभी द्वारा पढ़ी गई एवं सभी द्वारा अनुशंसित

VisionIAS मासिक करें
अफेयर्स पत्रिका

DELHI • 1st Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• Contact: 8468022022, 9019066066

JAIPUR | **PUNE** | **HYDERABAD** | **LUCKNOW** | **AHMEDABAD** | **CHANDIGARH** | **GUWAHATI**
9001949244 | 8007500096 | 9000104133 | 8468022022 | 9909447040 | 8468022022 | 8468022022

खेलों के साथ आर्थिक सुरक्षा

राजेश राय

बदलते समय के साथ खेलों में आर्थिक सुरक्षा का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। खेलों में आज पहले वाली बात नहीं रही जब माता-पिता अपने बच्चों को खेलों के मैदान में भेजने से घबराते थे। आज के माता-पिता मजबूती के साथ खेलों के मैदान की सीढ़ियों पर बैठकर अपने बच्चों को खुद खेलते हुए देखते हैं। समाज में इस नज़रिये में बदलाव को इस बात से महसूस किया जा सकता है कि पहले कहा जाता था—**खेलोंगे कूदोंगे बनोंगे खराब, पढ़ोंगे लिखोंगे बनोंगे नवाब।** लेकिन आज का नया मंत्र है: **पढ़ोंगे लिखोंगे बनोंगे नवाब, खेलोंगे कूदोंगे बनोंगे लाजवाब।**

टो

क्यों ओलम्पिक और पैरालम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता ने पूरे परिदृश्य को ही बदल डाला है। खिलाड़ियों पर पुरस्कार और धन दौलत की ऐसी बारिश हुई है कि माता-पिता बच्चों को खेलों के मैदान में उतारने के लिए तैयार हो गए हैं। सरकार खिलाड़ियों की तैयारियों पर अधाह धन खर्चने को तैयार है बशर्ते वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश को गौरवान्वित कर सकें। वर्ष 1983 में भारत ने कपिल देव की कप्तानी में जब पहली बार विश्व कप जीता था तब बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे तक नहीं थे, ऐसे समय में लता मगेशकर जी ने दिल्ली में एक कंसर्ट कर खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे जुटाए थे। लेकिन आज आईपीएल ने खिलाड़ियों के लिए जैसे खजाना खोल दिया है और टीम से जुड़े लेकिन न खेल पाने वाले खिलाड़ी भी आराम से 20 से 50 लाख रुपये एक सत्र में कमा लेते हैं।

कबड्डी के स्टार

कबड्डी को मिट्टी का खेल समझा जाता था लेकिन इसकी लीग ने भी कबड्डी खिलाड़ियों को रातोंरात नया स्टार बना दिया है। पहली लीग में सबसे महंगे बिके खिलाड़ी को साढ़े 12 लाख मिले थे और तब उस खिलाड़ी ने कहा था कि वह इन पैसे से अपने गांव के घर की मरम्मत करवाएगा। आज कबड्डी लीग को देखते हैं तो इसके खिलाड़ियों को एक सत्र में 50 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक मिल जाते हैं और ये फाइव स्टार होटलों में ठहरते हैं।

अधिक धन का प्रावधान

सरकार के नए फैसले के तहत खेल मंत्रालय राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों के लिए एथलीटों के प्रशिक्षण पर 190 करोड़ रुपये खर्च करेगा। केन्द्रीय खेल मंत्रालय ने 33 खेल स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं (एसीटीसी) के वार्षिक कैलेंडर को अंतिम रूप दे दिया है और विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ)

को सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 259 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। इस सहायता राशि में से, कुल 190 करोड़ रुपये राष्ट्रमंडल खेलों 2022 तथा एशियाई खेलों 2022 के लिए एथलीटों के प्रशिक्षण, विदेशी प्रतियोगिताओं के अनुभव दिलाने, खेल उपकरणों और सहयोगी कर्मचारियों पर खर्च किए जायेंगे। मंत्रालय ने विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) के साथ पूरी सक्रियता से परामर्श कर इन दो प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों को दी जा रही सहायता को और बढ़ाने से संबंधित हर प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उन्हें स्वीकृत किया।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एथलीटों की तैयारी में धन को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा और मंत्रालय खिलाड़ियों एवं राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को सभी आवश्यक सहायता और समर्थन प्रदान करेगा। उन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को अपने प्रशिक्षण पर पूरा





ध्यान देने एवं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और इस प्रकार आने वाली प्रतिस्पर्धाओं में अधिक से अधिक पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने की सलाह भी दी।

संशोधित मानदंडों के तहत, राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए उच्च प्राथमिकता खेलों के लिए सहायता को बढ़ाकर 51 लाख रुपये, प्राथमिकता वाले एवं भारतीय पारंपरिक खेलों के लिए और सामान्य श्रेणी के खेलों, जिन्हें पहले 'अन्य' के रूप में जाना जाता था, के लिए सहायता को 22 लाख रुपये (सभी श्रेणी की खेल स्पर्धाओं के लिए) से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। सामान्य खेल प्रशिक्षण किट (जैसे कि ट्रैक सूट, टी-शर्ट, शॉर्ट्स, वार्म अप जूते आदि) के लिए भर्ते को दोगुना करते हुए राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए वर्ष में एक बार प्रति एथलीट 20,000 रुपये कर दिया गया है।

देश में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहायता की मात्रा को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है।

खेलो इंडिया कार्यक्रम

खेल हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। इस जबरदस्त क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की जरूरत है। यह समय है कि हम युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करें, उन्हें शीर्ष स्तर का बुनियादी ढांचा और उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण दें। हमें खेलों में भागीदारी की एक मजबूत भावना पैदा करने की जरूरत है जो खिलाड़ियों को उनकी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है। तभी भारत खेल महाशक्ति बनने के अपने सपने को साकार कर सकता है। हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करके और भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करके जमीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेल विषयों में चिन्हित प्रतिभावान खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

योग्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले सहयोगी कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए, उनके पारिश्रमिक में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। खेल डॉक्टरों और डॉक्टरों के पारिश्रमिक को एक लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर दो लाख रुपये प्रति माह रुपये तक कर दिया गया है। हेड फिजियोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के पारिश्रमिक को 80,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर क्रमशः 2 लाख रुपये प्रति माह तक और 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक कर दिया गया है।

खिलाड़ियों को मिलने वाले पुरस्कार और धन राशि

ध्यानचंद खेल रत्न : मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद के तौर पर दिया जाता है। भारत में ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद को वर्ष 1991-92 में पहली बार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। पिछले साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था।

अर्जुन पुरस्कार: अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बाद ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये पुरस्कार लगातार 4 साल तक बेस्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 15 लाख की राशि दी जाती है।

द्रोणाचार्य पुरस्कार: साल 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों यानी ट्रेनर्स को उनकी ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। जिनकी ट्रेनिंग के जरिए खिलाड़ी अपने नाम कई मेडल जीत कर लाते हैं। नयी घोषणा में द्रोणाचार्य विजेताओं को इनाम की राशि के तौर पांच से 15 लाख रुपये कर दी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार केवल उन कोचों को मिलता है, जिन्होंने लगातार तीन सालों तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार ट्रेनिंग का काम किया हो।

भारतीय ओलंपिक संघ ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए इनाम की घोषणा की है। ओलंपिक शुरू होने से एक दिन पहले भारतीय ओलंपिक संघ ने गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 75 लाख रुपये देने का ऐलान किया था। इसके अलावा रजत पदक जीतने वाले एथलीटों के लिए 40 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 25 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की गयी थी। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने साथ ही कहा था कि वह इसके अलावा प्रत्येक भागीदार राष्ट्रीय खेल महासंघ

राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एनएसडीएफ)

राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि (एनएसडीएफ) की स्थापना पूर्त न्यास अधिनियम 1890 के अंतर्गत भारत सरकार की दिनांक 12 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना द्वारा 1998 में की गई थी। एनएसडीएफ खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सहायता से अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचों के अधीन प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करके तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में खेलने का अवसर देकर इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खेलों के हितों को गति और लचीलापन प्रदान करके इसमें सहायता देना है। एनएसडीएफ देश में खेलों के संवर्धन और प्रबंधन में संस्थाओं और व्यक्तियों को सरकार के समान भागीदारों के रूप में स्वीकार करती है। यह सार्थक पहल अंतर-संस्थागत भागीदारी बनाने, खेलों के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने और जागरूकता उत्पन्न करने, जो वास्तव में खेलों के समग्र विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण घटक हैं, के लिए खेल से संबंधित प्रयासों में संस्थानों और जनता को योगदान देने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

(एनएसएफ) को बोनस के तौर पर 25 लाख रुपये देगा।

आईओए ने कहा, “इसमें टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को एक लाख रुपये देने की भी सिफारिश की गई है। आईओए ने इसके साथ ही प्रत्येक भागीदार एनएसएफ को 25 लाख रुपये और पदक विजेता एनएसएफ को 30 लाख रुपये का अतिरिक्त सहयोग देने की समिति के निर्णय को स्वीकार किया है। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघों में से प्रत्येक को 15 लाख रुपये का सहयोग मिलेगा। आईओए ने कहा कि सदस्य राज्य ओलंपिक संघों में से प्रत्येक को राज्य में बुनियादी खेल ढांचे को विकसित करने और अधिक खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ने के लिये 15 लाख रुपये दिए जाएंगे।”

उत्तराखण्ड सरकार ने यूथ राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए धन-वर्षा कर दी है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मिलने वाली पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की गई है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मिलने वाली पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की गई है। सरकार से इस कदम से न सिर्फ खिलाड़ियों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि प्रदेश के युवाओं का रुक्षान भी खेल के प्रति बढ़ेगा। इसके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए हिमालय पुत्र खेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है।

वहीं, इस पुरस्कार के तहत प्रतिवर्ष छह खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिनमें तीन व्यक्तिगत स्पर्धा, दो टीम स्पर्धा और अन्य एक दिव्यांग खिलाड़ी को दिया जाएगा। इस पुरस्कार में एक लाख

रुपये नकद, प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर और प्रतिमा दी जाएगी।

- **ओलंपिक खेल :** स्वर्ण- दो करोड़, रजत- डेढ़ करोड़, कांस्य- एक करोड़, प्रतिभाग- दस लाख।
- **विश्व चैंपियनशिप क्षेत्र :** स्वर्ण- तीस लाख, रजत- बीस लाख, कांस्य- पंद्रह लाख, प्रतिभाग- एक लाख।
- **राष्ट्रमंडल खेल:** स्वर्ण- बीस लाख, रजत- पंद्रह लाख, कांस्य- दस लाख, प्रतिभाग- 75 हजार।
- **एशियन चैंपियनशिप:** स्वर्ण- 12 लाख, रजत- आठ लाख, कांस्य- छह लाख।
- **कॉमनवैल्थ चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक, सैफ खेल:** स्वर्ण- छह लाख, रजत- चार लाख, कांस्य- तीन लाख।
- **बीसीसीआई** ने टोक्यो के स्वर्ण विजेता नीरज को आईपीएल शुरू होने से पहले एक करोड़ के पुरस्कार से नवाजा।

बीसीसीआई ने महिलाओं के वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना को 25 लाख रुपये का नकद इनाम दिया। बीसीसीआई ने इसके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 1.25 करोड़ रुपये का सामूहिक पुरस्कार भी दिया, जिसने पिछले साल टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीतकर 41 साल का पदक सूखा समाप्त किया था। भारतीय टीम की ओर से कप्तान मनप्रीत सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया।

अन्य राज्यों ने भी पदक विजेताओं को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया है। हरियाणा के नीरज को राज्य सरकार की तरफ से छह करोड़ रुपये का इनाम दिया गया। अन्य पदक विजेताओं को उनके राज्य की सरकारों की तरफ से नगद पुरस्कार, अकादमी के लिए जमीन, फर्स्ट क्लास ग्रेड की नौकरी और कॉर्पोरेट जगत की तरफ से अन्य इनाम दिए गए हैं जिसमें शानदार कारें भी शामिल हैं। इन पुरस्कारों को देखने के बाद कैसे कोई अपने बच्चों को खेलों में उतारने से इंकार कर सकता है। हर किसी की तमन्ना है कि उनका बच्चा भी बड़ा होकर नीरज जैसा कारनामा करे।

प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो से लौटने के बाद पदक विजेता खिलाड़ियों से जिस तरह दिल खोलकर मुलाकात की और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जिस तरह खिलाड़ियों को नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया उसने हर माता-पिता का सीना चौड़ा कर दिया होगा और वे भी अपने बच्चों को ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भेजने का सपना देखने लगे हैं। ■

राष्ट्रीय खेल नीति

खेलों को बढ़ावा देने तथा प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वर्ष 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई थी। इसका उद्देश्य खेलों के आधार को व्यापक करते हुए उपलब्धियों में बढ़ाना था। इसका उद्देश्य देश में खेलों संरचनात्मक ढांचे का विकास तथा उन्नतिकरण पर भी ध्यान देना था। राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 का उद्देश्य केंद्र सरकार का राज्य सरकार, ओलंपिक संघ (आईओए) और राष्ट्रीय खेल महासंघ के साथ मिलकर खेल के ‘व्यापक-आधार’ और ‘उत्कृष्टता प्राप्त करना’ के दोहरे उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है।

रेडियो - नाटक लेखन

लेखक : सत्येन्द्र शरत्

पृष्ठ : 140, मूल्य : 170,

प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

प्रसारण अपनी पहुंच और प्रभाव के कारण, जनसंचार का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है। भारत जैसे विशाल देश में लोगों तक सूचना पहुंचाने और उनका घरेलू मनोरंजन करने में रेडियो का विशेष महत्व है।

दूरदर्शन और बाद में निजी टी.वी. चैनलों के आगमन से इसका आर्कषण कम ज़रूर हुआ था लेकिन एफ एम रेडियो के प्रसारण से एक बार फिर यह लोकप्रियता की ऊंचाई छू रहा है। 'रेडियो नाटक लेखन' नामक पुस्तक रेडियो प्रसारण की महत्वपूर्ण विधा पर प्रकाश डालती है।

पुस्तक के लेखक सत्येन्द्र शरत् रेडियो-नाटक लेखन की विधा में चिर-परिचित नाम रहे हैं।


पुस्तक इस बात से परिचय करती है कि कैसे साहित्य के इस नवीन और मौलिक रूप से ध्वनि और शब्दों का नाटकीय सामंजस्य होता है। कैसे सम्बाद, ध्वनि प्रभाव, संगीत और मौन के सहयोग से यह श्रोताओं के मानस पठल पर स्पष्ट शब्द-चित्र की सृष्टि करता है।

रेडियो-नाटक लेखन में रेडियो नाटककार अहम भूमिका निभाते हैं। उनका लक्ष्य होता है कम समय में अधिक सम्प्रेषण। कई बार श्रोताओं की सम्वेदना, अनुभूति और प्रतिक्रिया एक जैसी होती है कई बार बिल्कुल विपरीत। ऐसे अदृश्य और अपरितित श्रोताओं के लिए नाटक लिखना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।

वास्तव में रेडियो-नाटक सक्षिप्त अवधि में मानवीय सरोकार से जुड़े मुद्दों के प्रति श्रोताओं में सामाजिक चेताना जगाता है। अतः यह पुस्तक इस माध्यम से जुड़े हर आम और खास के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

पुस्तक से लिये गये अंश :

2 अप्रैल, 1938 को ऑल इंडिया रेडियो का लेखनका केंद्र और उसके बाद धीरे-धीरे पटना (26 जनवरी, 1948), नागपुर (16 जुलाई, 1948), इलाहाबाद (1 फरवरी, 1949), जालंधर (16 मई, 1949) केंद्र खुलने के बाद गिरिजाकुमार माथुर, भारतभूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, कमलापति मिश्र, मुद्राराक्षस, केपी सक्सेना,



सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मीनारायण लाल, प्रभाकर माचवे, केशवचन्द्र वर्मा, रामेश्वर सिंह कश्यप, मधुकर गंगाधर, हिमांशु श्रीवास्तव, सिद्धनाथ कुमार, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक', इंद्र जोशी भी रेडियो-नाटककारों की बिरादरी में शामिल हो गए। इनमें से अधिकांश लेखकों ने पारंपरिक ढंग से रेडियो-नाटक लिखने के साथ प्रसारण माध्यम की असीम संभावनाओं को उजागर करने वाले गद्य और पद्य-नाटक भी लिखे। रेडियो-नाट्य-शिल्प को ध्यान में रखते हुए इन नाटककारों ने कुछ अभिनय प्रयोग भी किए।

रेडियो-नाटकों की मांग धीरे-धीरे इतनी बढ़ने लगी कि रेडियो से प्रसारित महिला-कार्यक्रमों, बच्चों, ग्रामीण श्रोताओं, मजदूर श्रोताओं, स्कूल ब्रॉडकास्ट और फौजी भाइयों के कार्यक्रमों में भी नाटक प्रसारित किए जाने लगा।

10 या 15 मिनट की छोटी अवधि के नाटक भी धारावाहिक या हास्य-नाटकों के रूप में प्रसारित होने लगे। नाटकों में सम-सामायिक ज्वलंत समस्याओं का समावेश भी होने लगा। पद्य-नाटकों और संगीत-नाटकों के साथ-साथ वैज्ञानिक परिकल्पनाओं पर आधारित नाटक, फैटेसि जैसे प्रयोगात्मक नाटक भी प्रसारित किए जाने लगे जो प्रसारण-माध्यम को ध्यान में रखकर विशेष रूप से लिखे गये।

जुलाई 1956 से नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आरंभ हुआ जिसके अंतर्गत प्रत्येक महीने आठवीं अनुसूची की किसी भी भारतीय भाषा का चुनिंदा नाटक, अन्य भाषाओं में अनुदित होकर, महीने के तीसरे बृहस्पतिवार की रात को एक ही समय में आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाने लगा।

पड़ोसी देशों से युद्ध छिड़ने पर मोर्चे पर तैनात जवानों का तथा देश की जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रोफैंडा लघु नाटक (हमारी प्रतिज्ञा, ढोल की पोल) भी प्रसारित किए गये।

रेडियो-नाटक विकास की अवस्था से निकलकर उस स्थान पर आ गया है जहां उसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का बहुत कुशलता से सामना करना पड़ रहा है। ■

अब उपलब्ध



संकलन 2021

योजना (अंग्रेजी)



जनवरी–दिसंबर 2021
मूल्य : ₹300/-

कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी)



जनवरी–दिसंबर 2021
मूल्य : ₹300/-*

आजकल



जनवरी–दिसंबर 2021
मूल्य : ₹300/-*


*कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी) और आजकल (हिंदी) के छमाही संकलन (जुलाई से दिसंबर 2021) भी उपलब्ध हैं।
प्रत्येक छमाही संकलन का मूल्य 150 रुपये है।

प्रकाशन विभाग


सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

संकलन ऑफलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।
ऑफर के लिए कृपया संपर्क करें : फोन : 011-24365609, ईमेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in



अब उपलब्ध हैं...



इकोनॉमिक सर्वे 2021–22 (अंग्रेजी संस्करण)

मूल्य- ₹495/- (पूरा सेट वाल्यूम 1 और 2)

- भारत के आर्थिक विकास की गहन समीक्षा
- देश के औद्योगिक, कृषि, विनिर्माण इत्यादि सभी क्षेत्रों के विस्तृत सारिख्यकीय आंकड़े

आज ही नज़दीकी
पुस्तक विक्रेता से खरीदें

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24365609

ई-मेल : businesswng@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in



प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

फोलो करें @DPD_India /dpd_india /publicationsdivision



हमारी पत्रिकाएं

योजना

विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

आजकल

साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

 प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

बाल भारती

बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
<https://bharatkosh.gov.in/Product/Product>

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल (सभी भाषा)	बाल भारती	रोज़गार समाचार		सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी। पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।
वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	ई-संस्करण	
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400	
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750	
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050	

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट,

भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण ₹. 265/-, ई-संस्करण ₹. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए

<https://eneversion.nic.in/membership/login> लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजे भेजने का पता है-

संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- फोन: 011-24367453, (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं,

कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत पत्रिका भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में)

पता :

..... जिला पिन

ईमेल मोबाइल नं.

डीडी/पीओ/एमओ सं. दिनांक सदस्यता सं.

Helpline: 708- 218- 97-97



CAREERWILL IAS

GET IT ON
Google Play

Download on
App Store



SCAN QR CODE



IAS

LIVE BATCH

DOWNLOAD
CAREERWILL APP

IAS ASPIRANTS!!

भारत का प्रथम स्वनिर्मित कोर्स जिसे आप अपनी क्षमता, सुविधा और समय के अनुसार गति दे सकते हैं।

IAS FOUNDATION COURSE - 2023



भारत के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शकों की टीम

डॉ. अभिषेक

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

डॉ. मंजेश कुमार

भारतीय राजव्यवस्था एवं
संविधान

राजेश मिश्र

रवि मिश्र

संजीव शर्मा

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

डॉ. मनोज छपरिया

भारतीय समाज, सामाजिक
न्याय एवं आंतरिक सुरक्षा

डॉ. एस के. झा

अर्थव्यवस्था

के. आर्णीवाद

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं
करेट अफेयर्स

दीपक कुमार

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा
एवं अभिरुचि (पेपर-IV)

दिवाकर गुप्ता

शासन व्यवस्था

डी.के. चौधरी

डी.पी.एन. सिंह

कुमार अनुराग

उपलब्ध वैकल्पिक विषय

इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं लोक प्रशासन

FIRST OF ITS KIND IN IAS PREPARATION

We don't just claim to be the best, we indeed are, attend two free classes and decide for yourself

FEATURES

- ✓ Permanent faculty and fixed schedule
- ✓ Integrated Coverage of PT-MAINS Syllabus
- ✓ Interactive Live Classes
- ✓ Conceptual Clarity Along with Factual Information
- ✓ Mentorship & Doubt clearance session
- ✓ Special focus on Answer Writing
- ✓ High Quality Updated Study Material (Pdf Format)
- ✓ Integration of Current Affairs

FEE - ₹1,10,999/-
₹19,999/-

COURSE DURATION
18 Months

COURSE VALIDITY
21 Months

Call us : 9310934121, 9310998566

योजना, मई 2022

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध



भारत 2022



भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों,
भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा
नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की
आधिकारिक जानकारी देने वाला
वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्य: प्रिंट संस्करण ₹ 330/- ई-बुक संस्करण ₹ 248/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in और मोबाइल ऐप Digital DPD पर जाएं

ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर भी उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और
पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं



ऑफर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24367260

ई-मेल : businesswng@gmail.com

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए

कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,

भारत सरकार

सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

सूचना भवन की पुस्तक दीघां में पढ़ारें



@publicationsdivision



@DPD_India



@dpd_India



अखिल मूर्ति के निर्देशन में

पढ़िये देश की सर्वश्रेष्ठ टीम से!

दिल्ली के साथ अब प्रयागराज में भी...

श्री अखिल मूर्ति
इतिहास
कला एवं संस्कृति

श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)
एथिक्स

श्री ए.के. अरुण
भारतीय अर्थव्यवस्था

श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)
राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
गवर्नेंस, अंतरिक्ष सुरक्षा

श्री कुमार गौरव
भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन

श्री राजेश मिश्रा
भारतीय राजव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय संबंध

श्री रीतेश आर जायसवाल
सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री विकास रंजन
(TRIUMPH IAS)
सामाजिक मुद्दे

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स+मेन्स)

लाइव बैच भी उपलब्ध

वैकल्पिक विषय

इतिहास

द्वारा - श्री अखिल मूर्ति

भूगोल

द्वारा - श्री कुमार गौरव

राजनीति विज्ञान

द्वारा - श्री राजेश मिश्रा

सीसैट

कुल कक्षाएँ

120+

नियमित रिवीज़न

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा

ऑफलाइन/ऑनलाइन

टेस्ट सीरीज़

सामान्य अध्ययन एवं सीसैट

हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम

Demo

एक जिःशुल्क
डेमो टेस्ट

sanskritiIAS.com
sanskritiIAS app

संस्कृति

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

घर लैठे
तैयारी करें!

- सरल, संक्षिप्त, प्रामाणिक और परीक्षोन्मुखी अध्ययन सामग्री।
- सिविल सेवा परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर आधारित।
- पैराग्राफ्स, बुलेट फॉर्म, सारणी, मानचित्र एवं प्लॉचार्ट के माध्यम से उपयोगी एवं सुपारु अध्ययन सामग्री।

अधिक जानकारी के लिये sanskritiIAS.com पर विज्ञप्त करें।

हेड ऑफिस

636, भू-तल,
मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

9555-124-124

प्रयागराज केंद्र

7/3/AA/1, ताशकंद मार्ग,
पत्रिका चौराहा, प्रयागराज, उ.प्र.



प्रकाशक व मुद्रक : मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा
 प्रकाशन विभाग के लिए विबा प्रेस, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन
 विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल